

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधिन गठित)  
(Constituted Under Indian Medicine Central Council Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परिक्षित लेखा

1998-99

Annual Report and Audited Accounts

1998-99




61-65 इन्स्टीट्यूशनल एरिया, जनकपुरी  
नई दिल्ली - 110058.


61-65 INSTITUTIONAL AREA, JANAKPURI  
NEW DELHI-110058

# भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद


## कार्यकारिणी समिति



## अध्यक्ष



## निबन्धक एवं सचिव



## भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली

### वर्ष 1998-99 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना असाधारण भाग-II धारा 3 (11) दिनांक 10-08-1971 के द्वारा गठित एक सांविधिक निकाय है। केन्द्रीय परिषद का पुनर्गठन 1984 और 1995 में हुआ। केन्द्रीय परिषद के मुख्य प्रयोजन निम्न हैं :-

1. भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।
2. भारतीय चिकित्सा पद्धति की चिकित्सीय अर्हताओं को मान्यता/मान्यता को वापिस लिए जाने से संबंधित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।
3. भारतीय चिकित्सा पद्धति की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।
4. भारतीय चिकित्सा में चिकित्साभ्यास को विनियमित करना एवं चिकित्साभ्यासियों के लिए आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद् स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद् द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर जिसमें पाठ्यविधि एवं पाठ्यविवरण सम्मिलित है का अनुसरण कर रहे हैं।

(क) केन्द्रीय परिषद् ने 13 एवं 14 मार्च, 1996 को सम्पन्न अपनी 26वीं बैठक में पहले से ही विहित पाठ्यविधि और पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया। यह निर्णय लिया गया था कि आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब के विद्यमान पाठ्यविधि और पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु विषयानुसार कार्यशालाएं आयोजित की जाएं। तदनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान आयुर्वेद एवं यूनानी की चार-चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं। सिद्ध शिक्षा पर कार्यशाला अगले वर्ष के प्रारम्भ में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

### शिक्षा के स्तरों का आकलन

परिषद् द्वारा अध्ययन हेतु शिक्षा के न्यूनतम स्तर और पाठ्य विवरण निर्धारित किए जा चुके हैं। परिषद् देश की शैक्षिक संस्थाओं में उपलब्ध स्तरों की सही जानकारी के सत्यापन हेतु इन महाविद्यालयों में सदस्यों का दल भेजती है। ये दल कमियों को इंगित करते हुए परिषद् को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। इन प्रतिवेदनों पर परिषद् में विभिन्न स्तरों पर ध्यानपूर्वक विचार होता है और संस्थान में उपलब्ध सभी सुविधाओं के अनुरूप छात्रों की निश्चित संख्या में प्रवेश/प्रवेश न करने हेतु निर्णय लिया जाता है। साथ ही संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि परिदर्शन दल द्वारा इंगित कमियों को निश्चित अवधि में पूरा कर लें। ऐसे कड़े निर्देशों के परिणामस्वरूप शिक्षण सुविधाओं का स्तर निश्चित रूप से सुधर रहा है।

चालू वर्ष में परिदर्शन कार्यक्रम को अधिक शक्ति रूप में चलाया गया और केन्द्रीय

परिषद् द्वारा विहित शिक्षण और क्रियात्मक प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध सुविधाओं सहित अन्य आवश्यकताओं के वर्तमान स्तर का आकलन करने के लिए आयुर्वेद के 126 और यूनानी के 29 महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

### भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका

भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के प्रावधानानुसार केन्द्रीय परिषद् विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा की एक पंजिका अनुरक्षित कर रही है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम हैं जो किसी भी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हैं और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की अनुपूर्वियों में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हता में से कोई भी रखते हैं। केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को अनुरक्षित करती है और उसका आघतन करना एक अनवरत प्रक्रिया है।

### प्रशासनिक प्रतिवेदन

### भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की संरचना

पुत्रीय गठित केन्द्रीय परिषद् के निम्न सदस्य हैं :-

#### आयुर्वेद

1. डॉ. मेरी वमन रेड्डी
2. डॉ. शिवानन्दम
3. डॉ. गजेन्द्र भराली
4. डॉ. देवव्रत नारायण सिंह
5. डॉ. महेश्वर पांडे
6. डॉ. इन्द्रमोहन झा
7. डॉ. अलखनारायण सिंह
8. डॉ. ओमप्रकाश वशिष्ठ
9. डॉ. अरविन्द केशवलाल पटेल
10. डॉ. रमेश भाई ए. भूपतानी
11. डॉ. पवन कुमार वशिष्ठ
12. डॉ. देवनारायण शर्मा
13. डॉ. रुद्रमणि शर्मा
14. डॉ. ज्ञानचन्द
15. डॉ. जयप्रकाश नारायण
16. डॉ. एस.वी. सावदी
17. डॉ. के. राजगोपालन
18. डॉ. डी. रामनाथन
19. डॉ. रणवीर सिंह परिहार

20. डॉ. प्रमोद कुमार जैन
21. डॉ. राजेश शुक्ला
22. डॉ. सतीशदत्त गर्ग
23. डॉ. ज्ञानकुमार अहूजा
24. वैद्य शाह किशन विठ्ठलदास
25. वैद्य रमेश कृष्ण यादव
26. वैद्य एन. वी. साल्गरकर
27. वैद्य घनश्याम मिश्र
28. वैद्य जगजीत सिंह
29. डॉ. मुकेश वालिया
30. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी
31. वैद्य महेन्द्र कुमार शर्मा
32. वैद्य रघुनन्दन शर्मा
33. डॉ. पी. नारायणन
34. डॉ. मुकेश शर्मा
35. डॉ. पातंजलि द्विवेदी
36. डॉ. वाचस्पति त्रिवेदी
37. डॉ. भृगुपति पांडेय
38. डॉ. किशोर मोहन शर्मा
39. डॉ. स्वप्न कुमार भूनिया
40. डॉ. रमेश चन्द्र भट्टाचार्य
41. डॉ. पी. के. वारियर
42. डॉ. के. के. पाण्डे
43. डॉ. सुरेन्द्र कुमार वर्मा
44. डॉ. आर. बी. जैन
45. डॉ. टी. किशन
46. डॉ. आनन्द स्वरूप उपाध्याय
47. डॉ. आर. वी. सहगोरा
48. वैद्य दीनानाथ आर. उपाध्याय
49. वैद्य गोविन्द प्रसाद उपाध्याय
50. वैद्य रोहीदास शम्भू पाटिल
51. वैद्य एस. एन. परचुरे
52. वैद्य श्री मोहन नारायण ताम्बे
53. डॉ. कैलाश चन्द्र पाधी
54. वैद्य रामभरोसी मिश्र
55. वैद्य एन. के. चावला
56. डॉ. डी. अथर्यराज
57. डॉ. लक्ष्मी नारायण मैती
58. वैद्य एस. पी. भट्टाचार्य

59. वैद्य आई. संजीवा राव
60. वैद्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा
61. वैद्य शिव कुमार मिश्र
62. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
63. वैद्य गौरी लाल चानना
64. प्रो. कुलवन्त सिंह
65. प्रो. आर. भरत. राजन
66. वैद्य श्रीराम शर्मा
67. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगणी
68. वैद्य संजय जनार्दन तिलक
69. वैद्य आर. के. छाबड़ा
70. वैद्य अब्दुल वहीद
71. वैद्य वेदव्रत शर्मा
72. वैद्य सी. एच. एस. शास्त्री
73. वैद्य हरिनारायण स्वामी
74. वैद्य वी. वैद्यनाथन
75. प्रो. ज्योतिमित्र आचार्य
76. वैद्य साधना मिश्र
77. वैद्य वालेन्दु प्रकाश

सिद्ध

78. डॉ. वी. स्टैनले जोन्स
79. डॉ. एस. गोपालकृष्णन
80. डॉ. वी. अरुणाचलम
81. डॉ. एम. ए. कुमार

यूनानी

82. डॉ. एस. एस. रावत
83. हकीम फारुक अहमद अब्दुल अजीज
84. डॉ. विनोद पुण्डीर
85. डॉ. बन्सीलाल पंडित
86. प्रो. हकीम एस. शाजी हैदर
87. डॉ. मोहम्मद अख्तर मसूद सिद्दीकी
88. प्रो. हकीम अब्दुल मोबिन खान
89. हकीम वेद प्रकाश शर्मा
90. हकीम सउद अली खान
91. डॉ. के. शफी उल्लाह खान

92. हकीम शमीम अहमद
93. हकीम हाफिज एस. हबीबुरहमान
94. हकीम सैयद फैजान अहमद
95. प्रो. जमील अहमद
96. डॉ. एम. ए. लारी
97. डॉ. अबू बकर खान
98. डॉ. मदन सरूप गुप्ता
99. हकीम श्रीमती आलिया अमान
100. डॉ. रामदित्ता शर्मा
101. प्रो. हकीम एस. खलीफथुल्लाह
102. हकीम सैफुददीन अहमद
103. हकीम ए. जे. खान
104. प्रो. हकीम शहाबुल हक (31.12.98 तक)
105. हकीम सैयद इमामुदीन अहमद

#### कार्यालय पदाधिकारी

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के निम्न पदाधिकारी हैं :-

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. वैद्य श्रीराम शर्मा                 | अध्यक्ष                 |
| 2. वैद्य पं. शिवकरण शर्मा छांगाणी      | (उपाध्यक्ष आयुर्वेद)    |
| 3. डॉ. वी. अरुणाचलम                    | (उपाध्यक्ष सिद्ध)       |
| 4. प्रो. हकीम अब्दुल मोविन खान         | (उपाध्यक्ष यूनानी)      |
| 5. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा      | सदस्य कार्यकारिणी समिति |
| 6. डॉ. प्रमोद कुमार जैन                | "                       |
| 7. डॉ. शिवानन्दम                       | "                       |
| 8. वैद्य रघुनन्दन शर्मा                | "                       |
| 9. डॉ. एम. ए. कुमार                    | "                       |
| 10. डॉ. मदन सरूप गुप्ता                | "                       |
| 11. प्रो. जमील अहमद (22-3-99 तक)       | "                       |
| 12. हकीम वेद प्रकाश शर्मा (22-3-99 से) | "                       |

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 9 (1) के अनुसार केन्द्रीय परिषद् की निम्न मुख्य समितियां हैं यथा -

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की धारा 3 की उपधारा 1 के खण्ड क और ख के अधीन निर्वाचित और खण्ड ग के अधीन मनोनीत आयुर्वेद,

सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त हैं।

आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर सन्दर्भित समितियों के सभापति हैं।

प्रत्येक समिति सामान्य अथवा विशिष्ट निर्देशों, जो समय-समय पर केन्द्रीय परिषद् देती है, के अधीन, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो, से संबंधित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद् की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

#### कार्यकारिणी समिति

अधिनियम, एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद् द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद् के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (सामान्य ) विनियम, 1976 की धारा 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात् आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी तिब्ब तीनों पद्धतियों के सदस्यों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

केन्द्रीय परिषद् ने विभिन्न कार्यों को करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया है :-

#### विनियम समिति

केन्द्रीय परिषद् द्वारा गठित विनियम समिति समय-समय पर यथावश्यक केन्द्रीय परिषद् के विभिन्न विनियमों को बनाती है और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन इससे संबंधित बहुत से अन्य प्रकरणों पर विचार करती है।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 1. वैद्य आई. संजीवा राव      | सभापति    |
| 2. वैद्य वेदप्रकाश त्यागी    | उप-सभापति |
| 3. डॉ. रमेश भाई ए. भूपतानी   | सदस्य     |
| 4. डॉ. पी. नारायणन           | "         |
| 5. डॉ. राजेश शुक्ला          | "         |
| 6. डॉ. अलखनारायण सिंह        | "         |
| 7. डॉ. ज्ञान कुमार आंहूजा    | "         |
| 8. डॉ. आनन्द स्वरूप उपाध्याय | "         |
| 9. डॉ. स्वप्न कुमार भूनिया   | "         |
| 10. डॉ. रमेश कृष्ण यादव      | "         |
| 11. डॉ. कृष्ण चन्द्र पाधी    | "         |
| 12. वैद्य अब्दुल वहीद        | "         |
| 13. वैद्य वी. वैद्यनाथन      | "         |
| 14. डॉ. महेश्वर पाण्डे       | "         |
| 15. डॉ. गजेन्द्र भराली       | "         |

16. डॉ. एस. गोपालकृष्णन  
 17. हकीम सैयद इमामुद्दीन अहमद  
 18. हकीम एस. शफीउल्लाह खान  
 19. डॉ. बन्सीलाल पंडित  
 20. डॉ. एस.एस. रावत
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी) विनियम समिति के पदेन सदस्य हैं।

### पंजीयन समिति

केन्द्रीय परिषद् द्वारा पंजीयन एवं संबंधित विषयों यथा केन्द्रीय पंजिका का निर्माण एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यास को नियमित करने हेतु पंजीयन समिति का गठन किया गया है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- |                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| 1. डॉ. जयप्रकाश नारायण            | सभापति    |
| 2. डॉ. अरविन्द केशवलाल पटेल       | उप-सभापति |
| 3. डॉ. देवनारायण शर्मा            | सदस्य     |
| 4. डॉ. पवन कुमार वशिष्ठ           | "         |
| 5. डॉ. सतीशदत्त गर्ग              | "         |
| 6. डॉ. डी. रामनाथन                | "         |
| 7. डॉ. आर. भरतराजन                | "         |
| 8. डॉ. डी. अथस्यराज               | "         |
| 9. वैद्य रोहिदास शम्भू पाटिल      | "         |
| 10. डॉ. ज्ञान कुमार आहूजा         | "         |
| 11. डॉ. एन. वी. साल्गरकर          | "         |
| 12. डॉ. मेरी वमन रेड्डी           | "         |
| 13. डॉ. वाचस्पति त्रिवेदी         | "         |
| 14. डॉ. महेन्द्र कुमार शर्मा      | "         |
| 15. वैद्य मोहन नारायण ताम्बे      | "         |
| 16. वैद्य संजय जनार्दन तिलक       | "         |
| 17. वैद्य गोविन्द प्रसाद उपाध्याय | "         |
| 18. वैद्य आर. बी. जैन             | "         |
| 19. डॉ. विनोद पुण्डीर             | "         |
| 20. डॉ. राम दिक्ता शर्मा          | "         |
| 21. हकीम अख्तर मसूद सिद्दीकी      | "         |
| 22. हकीम सरुद अली खान             | "         |
| 23. डॉ. वी. स्टेनले जोन्स         | "         |

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी) पंजीयन समिति के पदेन सदस्य हैं।

### वित्त समिति

परिषद् के वित्त सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए परिषद् द्वारा वित्त समिति का गठन किया गया है।

वित्त समिति के निम्न सदस्य हैं :-

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. वैद्य गोरीलाल चानना                  | सभापति    |
| 2. हकीम अबू बकर खान                     | उप-सभापति |
| 3. डॉ. एम. ए. कुमार                     | सदस्य     |
| 4. डॉ. मुकेश वालिया                     | "         |
| 5. डॉ. डी. रामनाथन                      | "         |
| 6. डॉ. एस.एस. रावत                      | "         |
| 7. डॉ. देवव्रत नारायण सिंह              | "         |
| 8. डॉ. ज्ञान चन्द                       | "         |
| 9. डॉ. पी. के. वारियर                   | "         |
| 10. वैद्य बालेन्दु प्रकाश               | "         |
| 11. डॉ. किशन विट्टल दास शाह             | "         |
| 12. वैद्य के. के. पाण्डे                | "         |
| 13. डॉ. एन. के. चावला                   | "         |
| 14. डॉ. साधना मिश्र                     | "         |
| 15. डॉ. के. आर. रामचन्द्र (29-10-98 तक) | "         |

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी) वित्त समिति के पदेन सदस्य हैं।

### शिक्षा समिति (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी) की शिक्षा से सम्बंधित समस्त कार्यों को करने एवं साथ ही विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त उपाधि की मान्यता हेतु प्रस्तावों पर विचार करने हेतु गठित की गई है।

आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :-

### आयुर्वेद

- |   |            |
|---|------------|
| 1. वैद्य शिवकुमार मिश्र                             | सभापति     |
| 2. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगाणी, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद) | पदेन सदस्य |
| 3. डॉ. सी. एच. एस. शास्त्री                         | सदस्य      |
| 4. वैद्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा                      | "          |
| 5. वैद्य शाह किशन विट्टलदास                         | "          |
| 6. डॉ. जगजीत सिंह                                   | "          |
| 7. वैद्य हरिनारायण स्वामी                           | "          |
| 8. डॉ. लक्ष्मी नारायण मोती                          | "          |

9	वैद्य मुकेश शर्मा	"
10	प्रो. कुलवन्त सिंह	"
11	डॉ. रुद्रमणि शर्मा	"
12	वैद्य दीनानाथ उपाध्याय	"
13	डॉ. एस. वी. सावदी	"
14	डॉ. ओम प्रकाश वशिष्ठ	"
15	वैद्य एस. पी. भट्टाचार्य	"
16	डॉ. रमेश चन्द्र ए० भूपतानी	"
17	डॉ. के. राजगोपालन	"
18	वैद्य गौरीलाल चानना	"
19	डॉ. डी. रामनाथन	"
20	प्रो. ज्योतिर्मित्र आचार्य	"
21	वैद्य आनन्द स्वरूप उपाध्याय	"
22	डॉ. रणवीर सिंह परिहार	"
23	डॉ. भृगुपति पाण्डे	"
24	डॉ. वेद प्रकाश त्यागी	"
25	डॉ. किशोर मोहन शर्मा	"
26	प्रो. वेदव्रत शर्मा	"
27	डॉ. इन्द्रमोहन झा	"
28	डॉ. पातंजलि द्विवेदी	"
29	डॉ. वाचस्पति त्रिवेदी	"
30	वैद्य एस. एन. परचुरे	"
31	डॉ. घनश्याम मिश्र	"

## सिद्ध

1.	डॉ. वी. अरुणाचलम् उपाध्यक्ष, (सिद्ध)	सभापति
2.	डॉ. एस. गोपालकृष्णन	सदस्य
3.	डॉ. एम. ए. कुमार	"
4.	डॉ. वी. स्टेनले जोन्स	"

## यूनानी

1	प्रो. हकीम जमील अहमद	सभापति
2	प्रो. हकीम अब्दुल मोबिन खान, उपाध्यक्ष (यूनानी)	पदेन सदस्य
3	प्रो. हकीम शहाबुल हक 31.12.98 तक	उप-सभापति
4	प्रो. हकीम एस. शाजी हैदर	सदस्य
5	प्रो. हकीम एस. इमामुद्दीन अहमद	"
6	हकीम ए.जे. खान	"
7	हकीम सऊद अली खान	"

8	हकीम वेदप्रकाश शर्मा	"
9	प्रो. हकीम अबू बकर खान	"
10	हकीम श्रीमती आलिया अमान	"
11	डॉ. एस. एस. रावत	"
12	हकीम बन्सीलाल पंडित	"
13	डॉ. मदन सरूप गुप्ता	"
14	हकीम के. शफीउल्ला खान	"
15	हकीम शमीम अहमद	"
16	हकीम हाफीज एस. हबीबुर्रहमान	"
17	हकीम विनोद पुण्डरी	"
18	हकीम मोहम्मद ए.एम. सिद्दीकी	"

## परिषद एवं समितियों की बैठक

वर्ष 1998-99 के दौरान निम्न बैठकें हुई :-

1	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद	एक
2	आयुर्वेद समिति	एक
3	सिद्ध समिति	एक
4	यूनानी समिति	एक
5	कार्यकारिणी समिति	चार
6	पंजीयन समिति	एक
7	विनियम समिति	एक
8	वित्त समिति	दो
9.	शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	दो
10.	शिक्षा समिति (सिद्ध)	एक
11.	शिक्षा समिति (यूनानी)	एक
12.	शिक्षा समिति (आयुर्वेद) की उपसमिति	दो
13.	चयन समिति	एक

## कार्यशालाएं एवं विचार गोष्ठियां

- 14-15 सितम्बर, 1998 को अकोला में आयुर्वेद स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पंचकर्म पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
- 23-24 अक्टूबर, 1998 को जामनगर में आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रारम्भिक विषय संहिता एवं मौलिक सिद्धान्त के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
- 18-19 दिसम्बर, 1998 को अहमदाबाद में आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के क्रिया शारीर और रचना शारीर के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
- 5-6 मार्च, 1999 को नासिक में शल्य, शालाक्य, अगदतन्त्र और व्यवहारआयुर्वेद के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
- 11-12 सितम्बर, 1998 को चेन्नई में वी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के महि-ए-तुल अमराज और कुल्लियात-ए-उमूरे तबीया यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धान्त विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई।

6. 21-22 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के इल्मुल जराहत पर कार्यशाला।
7. 29-30 जनवरी, 1999 को हैदराबाद में कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के इल्मुल समूह और तिब्ब-ए-यूनानी विषयों के पाठ्य विवरण को पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
8. 26-27 फरवरी, 1999 को पुणे में यूनानी तिब्ब में कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के मन्तिक-फलसफा एवं हैयात और तारीख-ए-तिब्ब विषयों पर कार्यशाला।
9. 23 मार्च, 1999 को नई दिल्ली में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के शिक्षण, तकनीक और विधि पर विचार गोष्ठी।

केन्द्रीय परिषद् ने अंकित किया कि व्यवसायियों और अधिसंख्यक जनता के मरिष्ठक में यह आशंका बढ़ रही है कि भारतीय एकाधिकार (पेटेन्ट) कानून में दिए गए संशोधन से भारतीय देश चिकित्सा और भेषज उद्योग में पश्चिमी देशों की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके भारतीय प्रतिरूपों के अनियन्त्रित प्रवेश सहायक होंगे। देश और विदेशों में भी सदियों से चली आ रही पारम्परिक चिकित्सा पद्धति के रास्ते में मूलभूत परिवर्तन की सम्भावनाओं की वजह से ऐसा विकास चिन्ता एवं भय का विषय है। आयुर्वेद और देशी चिकित्सा की अन्य पद्धतियां अपना मूल स्वतः सिद्ध सिद्धान्त खो देंगे और इस तरह से विकार की ओर ले जाते हुए व्यापारिक शोषण असुरक्षा प्रदान करेंगे। देशी चिकित्सा और अधिक मंहगी हो जाएगी और भारतीय जनसंख्या का एक बड़ा भाग, जो अपने प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार के लिए पारम्परिक पद्धति पर निर्भर करता है के लिए समस्या हो जाएगी। इन सभी तथ्यों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि देशी चिकित्सा उद्योग की मौलिक विशेषताओं को बचाकर और इस तरह से भारत के सामान्य लोगों के मौलिक हितों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु भारत सरकार के संबंधित विभाग से अनुरोध किया जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने प्रकरण पर विस्तारपूर्वक विचार किया और उनका विचार था कि देशी मूल चिकित्सा उद्योग की विशिष्टताओं को बनाए रखने तथा भारत के सामान्य जन के मुख्य हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं तथा यह निर्णय लिया कि इस प्रकरण के संबंधित परिणामों से भारत के माननीय राष्ट्रपति को अवगत कराया जाए। अध्यक्ष, श्रीराम शर्मा के नेतृत्व में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् का शिष्टमंडल राष्ट्रपति को उनके सुविधाजनक समय पर मिलें। तदनुसार भारत के माननीय राष्ट्रपति को अनुरोध किया गया कि बैठक के लिए वह उपयुक्त समय निश्चित करें।

केन्द्रीय परिषद् ने इस मामले में आगे जांच के लिए निम्न सदस्यों की एक उप-समिति का गठन किया :-

1. वैद्य गौरी लाल चानना
2. प्रो. ज्योतिमित्र आचार्य
3. प्रो. कुलवन्त सिंह
4. वैद्य वेद प्रकाश त्यागी
5. वैद्य किशन विट्टलदास शाह

आयुर्वेद

मुख्य अनुशंसाएं निम्न हैं :-

आयुर्वेद समिति ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद विषयों अर्थात् चरक, सुश्रुत, माधव निदान, मूल सिद्धान्त, रचना शरीर इत्यादि को संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य सरकार

परीक्षाओं जैसे पंजाब लोकसेवा आयोग में हरियाणा लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के पाठ्यविवरण में सम्मिलित किया जाए ताकि आयुर्वेद स्नातक अपने विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण करने का अवसर प्राप्त कर सकें। यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न परीक्षाओं में उपर्युक्त विषयों को समाविष्ट करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाए।

इस संबंध में आगे यह अंकित किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग को अनुरोध किया गया था कि आधुनिक चिकित्सा की विषय सूची भेजे ताकि मामले पर विचार किया जा सके। यह भी अंकित किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग ने आधुनिक चिकित्सा के पाठ्यविवरण की विषय सूची भेज दी है। आयुर्वेद समिति ने प्रकरण पर विमर्श किया और मंत्रालय के प्रेषणार्थ विषयों का ब्यौरा तैयार करने के लिए निम्न सदस्यों की उप-समिति का गठन किया गया।

1. वैद्य शिवकरण शर्मा छांगणी, उपाध्यक्ष आयुर्वेद
2. वैद्य सुरेन्द्र कुमार शर्मा, परामर्शदाता, आयुर्वेद एवं सिद्ध
3. डॉ. सी.एच.एस. शास्त्री, निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी, दिल्ली।

आयुर्वेद समिति ने निर्णय लिया कि आवश्यकतानुसार बहिरंग और अन्तरंग सुविधाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से स्नातकोत्तर के सभी आयुर्वेद विषयों को नैदानिक माना जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करने के लिए उत्तर महाराष्ट्र, विश्वविद्यालय, जलगांव द्वारा प्रदत्त आयुर्वेदाचार्य (बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि को सम्मिलित करने की केन्द्रीय परिषद् की अनुशंसा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग, नई दिल्ली को भेजी जाए।

आयुर्वेद समिति ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद में पी.एच.डी. अर्हता को सेवा शर्तों के लाभ के लिए स्नातकोत्तर अर्हता माना जाए परन्तु आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिना एम.डी. आयुर्वेद एम.एस. आयुर्वेद पी.एच.डी. पर्याप्त अर्हता नहीं है।

आयुर्वेद समिति ने आयुर्वेद महाविद्यालयों में शिक्षक वर्ग के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान लागू करने के अपने निर्णय को पुनः दोहराया और निर्णय लिया कि इसे लागू करने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाए।

आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण की निम्न कार्यशालाओं में पुनरीक्षा की गई है :-

1. 14-15 सितम्बर, 1998 को अकोला में आयुर्वेद स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु पंचकर्म पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला आयोजित की गई।
2. 23-24 अक्टूबर, 1998 को जामनगर में आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु प्रारम्भिक विषय संहिता एवं मौलिक सिद्धान्त के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
3. 18-19 दिसम्बर, 1998 को अहमदाबाद में आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के क्रिया शारीर और रचना शारीर के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
4. 5-6 मार्च, 1999 को नासिक में शल्य, शालाक्य, अगदतन्त्र और व्यवहारायुर्वेद के पाठ्यविवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।

नए आयुर्वेद महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद् द्वारा आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए विहित न्यूनतम



स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप उपलब्ध न्यूनतम स्तरों का आकलन करने के पश्चात् निम्न संस्थानों को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है :

1. धन्वन्तरी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, सिद्धपुर।
2. जकारिया आयुर्वेद मेडिकल कालिज, गुलबर्गा।
3. मुनियाल आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मनीपाल, उडुप्पी।
4. भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट महाविद्यालय, बघोली।
5. स्वर्गीय सुनील रामसिंह जी चूनावाले आयुर्वेद महाविद्यालय, चिखली
6. किसान आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चालीस गांव, जिला जलगांव
7. शहीद करतार सिंह सारभा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, रायकोट, पंजाब
8. गुरु नानक आयुर्वेद मेडिकल कालिज, जम्मू।

केन्द्रीय परिषद् ने नीतिश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, मुजफ्फरपुर, बिहार को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी।

### परिदर्शन

आयुर्वेद स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा से संबंधित विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप आयुर्वेद स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं का आकलन करने के उद्देश्य से निम्न आयुर्वेद महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई।
1.	टी. ए.एम. ई. सोसायटी आयुर्वेद कालेज, भद्रावती	2-6-1998	स्नातकीय	अनुमति दी गई
2.	एस.डी.एम. आयुर्वेद कालेज, हसन	5-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
3.	के. वी. जी. आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल सूलिया, हसन	19-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
4.	अलवास आयुर्वेद मेडीकल कालेज, मूदबिदि	18-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
5.	ए.वी.समिति आयुर्वेद महाविद्यालय बीजापुर	9-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
6.	संगम सेवाभावी ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर, अहमद नगर	8-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
7.	सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर, अहमदनगर	9-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
8.	छत्रपति शाहूजी महाराज शिक्षण संस्थान आयुर्वेद महाविद्यालय, कनकनवाडी, औरंगाबाद	13-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
9.	देश भगत आयुर्वेद मेडिकल कालेज एवं अस्पताल मंडी गोबिन्दगढ़	3-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
10.	एस०एस०एम०डी० आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल मोगा।	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

11.	स्नातकोत्तर प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर	19-5-98	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
12.	गोपबन्धु आयुर्वेद कालेज, पुरी	8-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
13.	श्री धन्वन्तरी आयुर्वेद कालेज, चण्डीगढ़	8-6-98/ 26-8-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
14.	श्री गुरुदेव आयुर्वेद महाविद्यालय, गुरुकुंज आश्रम मोजरी, अमरावती	14-5-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
15.	श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर	13-5-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति नहीं दी गई
16.	ए.एल.एन.राव मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा	4-8-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
17.	एस.वी.आयुर्वेद कालेज, तिरुपति	1-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
18.	वैकटरामन आयुर्वेद कालेज, चेन्नई	2-6-98	स्नातकीय	कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई
19.	रविन्द्रनाथ मुखर्जी आयुर्वेद महाविद्यालय, मोतीहारी	8-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
20.	आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, गया	15-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
21.	रवामी राघुवेन्द्राचार्य त्रिदण्डी आयुर्वेद कालेज, करजरा, गया	16-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
22.	श्री गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय, जामनगर	20-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
23.	शासकीय अष्टांग आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, इन्दौर	15-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
24.	शासकीय धन्वन्तरी आयुर्वेद कालेज, उज्जैन	16-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
25.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, जबलपुर	15-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
26.	आयुर्वेद महाविद्यालय श्री शिवाजी नगर राहुरी फैक्ट्री, अहमदनगर	12-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
27.	दयानन्द आयुर्वेद कालेज, जालन्धर	4-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
28.	श्री लक्ष्मी नारायण आयुर्वेद कालेज अमृतसर	5-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
29.	बुन्देलखण्ड शासकीय आयुर्वेद कालेज, झांसी	8-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
30.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, अत्तरा	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
31.	जे.बी.राय स्टेट आयुर्वेद कालेज कलकत्ता	15-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
32.	श्यामदास वैद्य शास्त्रपीठ आयुर्वेद कालेज, कलकत्ता	15-6-98	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
33.	के.जी. एम.पी. आयुर्वेद कालेज, मुम्बई	8-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
34.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	4-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
35.	आर.के.टी. आयुर्वेद महाविद्यालय, अकोला	12-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

36.	आर.ए. पोदर आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मुम्बई	1-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
37.	विदर्भ आयुर्वेद महाविद्यालय, अमरावती	12-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
38.	आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन	2-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
39.	डी.एम.एम. आयुर्वेद कालेज, यवतमाल	29-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
40.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, उस्मानाबाद	9-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
41.	सेठ गोविन्द जी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, शोलापुर	8-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
42.	शासकीय अखण्डानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, भद्रा, अहमदाबाद	22-6-98	स्नातकीय/स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
43.	बी.एन.एम. रूरल आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, बीजापुर	8-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
44.	नालासोपारा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, नालासोपारा	10-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
45.	कृष्णराजेन्द्र चैरिटेबल ट्रस्ट आयुर्वेद मेडिकल एवं अनुसन्धान संस्थान, बंगलौर	22-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
46.	वापूजी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, शिमोगा	2-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
47.	श्री बासवेश्वर विद्या वर्धक संघ, आयुर्वेद मेडिकल कालिज, बगलकोट	11-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
48.	वीरपुलकेशी रूरल आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बदामी	26-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
49.	लाला लाजपत राय आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मोगा	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
50.	अनुराधा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चिखली	30-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
51.	जे.जी. कापरेटिव एवं अनुसंधान केन्द्र आयुर्वेद मेडिकल कालेज, घटप्रभा	30-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
52.	रूरल एजुकेशन ट्रस्ट आयुर्वेद महाविद्यालय, गबीमठ कोप्पल	11-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
53.	टी.ए.एम. ई. सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, होसपैठ	12-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
54.	श्री हिंगुलम्बिका एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, गुलबर्गा	18-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
55.	कविराज अनन्ता त्रिपाठी शर्मा आयुर्वेद कालेज, गंजम	19-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
56.	श्री नरुसिंहनाथ आयुर्वेद कालेज एवं अनुसन्धान संस्थान, पो. ओ. पैकमल जिला सम्बलपुर	20-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

57.	श्री ओ.एच.नजर आयुर्वेद महाविद्यालय रूरल	23-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
58.	राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर बिहार	24-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
59.	पी.बी.एन. चिकित्सा विज्ञान संस्थान, मधुबनी बिहार	23-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
60.	कालेज ऑफ आयुर्वेद एवं अनुसंधान केन्द्र अकुर्डी, पुणे	26-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
61.	भारती विद्यापीठ आयुर्वेद कालिज, पुणे	25-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
62.	आयुर्वेद महाविद्यालय, पुसद	21-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
63.	कालीदास आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बदामी	27-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
64.	राजीव गांधी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, रॉन	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
65.	गाई भागो महिला आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मुक्तसर	23-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
66.	श्री भारतेश विद्या मडल ग्रामीण आयुर्वेद मेडिकल कालेज, टरडल	12-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
67.	श्री शिव योगेश्वर रूरल आयुर्वेद मेडिकल कालेज, इन्चल	29-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
68.	वी.एस.एस. आयुर्वेद महाविद्यालय मैसूर	23-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
69.	भगवान महावीर जैन आयुर्वेद कालेज, गजेन्द्रगढ़	8-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
70.	हनुमान शिक्षण प्रसारक मण्डल आयुर्वेद कालेज, कोल्हापुर	7-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
71.	महागणपति आयुर्वेद मेडिकल कालेज, धारवाड	7-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
72.	एस.एस.आयुर्वेद मेडिकल कालेज, हावेरी	27-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
73.	भारतीय संस्कृति दर्शन ट्रस्ट आयुर्वेद अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, वधौली	8-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
74.	कन्नड बालग सोसाइटी रूरल आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बेलगांव	8-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
75.	एस.जी.वी. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बेलगांव	8-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
76.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पातूर	22-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
77.	अश्वनी एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, दावनगिरी	5-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
78.	पीतिश्वर इन्स्टीट्यूट ऑफ इण्डियन मेडिकल साइंसिज मुजफ्फरपुर	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
79.	गाई, एम.टी. ए. मेडिकल कालेज, मुम्बई	3-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
80.	गुरु नानक आयुर्वेद कालेज एवं अस्पताल, मुक्तसर	22-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

81.	श्री भंवर लाल दूगर आयुर्वेद विश्व भारती गांधी विद्या मन्दिर, सरदार शहर	1-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
82.	वसन्तदादा पाटिल आयुर्वेद मेडिकल कालेज, सांगली	6-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
83.	परसुरामपुरिया आयुर्वेद कालेज, सीकर	9-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
84.	एन.के.जब शेर्टी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, बिदर	13-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
85.	मुनियाल कालेज ऑफ आयुर्वेद उडुप्पी	10-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
86.	जे.एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मैसूर	22-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
87.	श्री कालभैरवेश्वर स्वामी आयुर्वेद मेडिकल कालिज, आदि चिंचिंगरा मठ, विजयनगर, बंगलौर	22-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
88.	भाऊ साहेब मुलक आयुर्वेद महाविद्यालय एवं अस्पताल, नन्दनवन, नागपुर	16-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
89.	धुले चेरिटेबल सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले	25-8-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
90.	दादा साहेब सरूप सिंह नायक आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले	26-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
91.	बापूजी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चल्लाकरे चित्रदुर्गा	21-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
92.	अमरूथा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चित्रदुर्गा	20-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
93.	जकारिया आयुर्वेद मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	12-6-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
94.	के.एल.ई. सोसायटी श्री बी.एम.के. आयुर्वेद महाविद्यालय, बेलगांव	6-7-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
95.	महामना मदन मोहन शासकीय आयुर्वेद कालेज, उदयपुर	25-5-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
96.	राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर	27-5-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
97.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, नागपुर	15-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
98.	आर.जे.वी.एस.भाई साहब सावत आयुर्वेद महाविद्यालय, सावन्तवाडी	29-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
99.	भारतीय संस्कृत प्रबोधिनी गोमान्तक आयुर्वेद महाविद्यालय, गोवा	30-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
100.	गुरु वाल्मीकि महर्षि आयुर्वेद मेडिकल कालेज जगलूर, चित्रदुर्गा	4-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
101.	श्री विजय महन्तेश आयुर्वेद मेडिकल कालेज, इलकल	26-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
102.	तालूका शिक्षण प्रसारक मंडल आयुर्वेद मेडिकल कालेज सिंदगी, बीजापुर	25-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
103.	श्री एस.बी.एस. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मुंदरगी	23-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

104.	महाराष्ट्र आरोग्य मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, हडपसर, पुणे	5-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
105.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे	6-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
106.	श्री डी.जी. मलमालगी आयुर्वेद महाविद्यालय, गडग	22-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
107.	श्री साई चेरिटेबल ट्रस्ट इन्स्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेंटर, जम्मू	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
108.	गुरु नानक आयुर्वेद मेडिकल कालेज, जम्मू	5-10-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
109.	गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेद मेडिकल कालेज, कोल्हापुर	24-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
110.	यशवन्त आयुर्वेद महाविद्यालय, कोडोली, कोल्हापुर	23-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
111.	पैतन्य आयुर्वेद महाविद्यालय, भुसावल	29-8-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
112.	किसान दनोदय मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, चालीसगांव	30-8-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
113.	धन्वन्तरि आयुर्वेद कालेज एवं अनुसंधान केन्द्र, सिद्धपुर	7-9-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
114.	के.जी.एन. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, देहरादून	25-8-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
115.	दून आयुर्वेद मेडिकल कालेज, देहरादून	24-8-98	स्नातकीय	अनुमति नहीं दी गई
116.	शहीद करतार सिंह सरभा आयुर्वेद मेडिकल कालेज, रायकोट पंजाब	18-9-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
117.	स्व. सुनील राम सिंह जी, चूनावाले आयुर्वेद मेडिकल कालेज, चिखली	26-9-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
118.	युशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल	30-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
119.	मयूरभंज आयुर्वेद महाविद्यालय, वारीपाडा	16-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
120.	आपिकुल स्टेट आयुर्वेद कालेज, हरिद्वार	25-11-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
121.	राजीव गांधी शासकीय आयुर्वेद कालेज, पपरोला	11-1-99	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
122.	श्री मारु सिंह मैमोरियल महिला आयुर्वेद डिग्री कालेज, खानपुर कलौ, शोनीपत	16-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
123.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, गुरुकुल कांगडी, हरिद्वार	26-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
124.	श्री कृष्ण शासकीय आयुर्वेद कालेज कुरुक्षेत्र	17-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
125.	गोड ब्राह्मण आयुर्वेद कालेज, रोहतक	18-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
126.	शासकीय आयुर्वेद कालेज, बोलनगीर	17-11-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

## यूनानी

मुख्य अनुशासण निम्न हैं :

यूनानी समिति ने अंकित किया कि जम्मू एवं काश्मीर सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण शिक्षा विभाग ने अपने पत्रांक 40-2/99 दिनांक 15-01-1999 के द्वारा बतलाया कि जम्मू एवं काश्मीर में 10+2 विज्ञान ग्रुप में उर्दू विषय नहीं है और इसलिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित अर्हताओं वाले अभ्यर्थी चयन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् ने नियमों को संशोधित किया और संशोधित नियमों के अनुसार पात्रता परीक्षा में उर्दू को समाप्त कर दिया गया है। यह निर्णय लिया गया था कि इंग्लिश/हिन्दी अथवा अन्य किसी प्रादेशिक भाषा में कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करना सैद्धान्तिक रूप से पहले ही स्वीकार कर लिया गया है वशतें पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जा सकें।

आगे निर्णय लिया गया था कि दसवीं अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उर्दू सहित उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र समझा जाए और विहित विनियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

यूनानी समिति ने निर्णय लिया कि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उर्दू का ज्ञान अनिवार्य समझा जाएगा और प्रवेश पाने के इच्छुक अभ्यर्थी को सीनियर सैकण्डरी स्तर पर उर्दू न होने पर और दूसरी पात्रता की स्थिति में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित उर्दू भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।

यूनानी समिति ने अंकित किया कि जम्मू एवं काश्मीर राज्य में यूनानी चिकित्सा पद्धति के कुछ स्नातकों ने प्रसिद्ध संस्थान से अस्पताल प्रशासन का डिप्लोमा किया है। यह देखा गया है कि प्रशासनिक पदों में नियुक्ति के समय उनकी उपेक्षा की जाती है, अवसर से वंचित रखा जाता है।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि राज्य को अनुरोध किया जाए कि राज्य सरकार निर्देश जारी करें कि यूनानी अस्पतालों में प्रशासनिक पदों को भरते समय भारतीय चिकित्सा पद्धति के स्नातकों जो अस्पताल प्रशासन में डिप्लोमा धारी भी है को प्राथमिकता दी जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्दौर द्वारा प्रदत्त कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (वेचलर आफ यूनानी मेडीसन एण्ड सर्जरी) अर्हता को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया जाए।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि जामिया हमदद नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत (वेचलर आफ यूनानी मेडीसन एण्ड सर्जरी) अर्हता जो 1995-1996 तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है को 1996 से आगे मान्यता दी जाए।

समिति ने अंकित किया कि निम्न कार्यशालाओं में कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा की गई :

1. 11.12 सितम्बर, 1998 को चेन्नई में वी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के महि-ए-तुल अमराज और कुल्लियात-ए-उपूरे-तवीया यूनानी चिकित्सा के मूल सिद्धान्त विषयों पर कार्यशाला आयोजित की गई।

2. 21-22 नवम्बर, 1998 को नई दिल्ली में स्नातकीय और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के इल्मुल जराहत पर कार्यशाला।
3. 29-30 जनवरी, 1999 को हैदराबाद में कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के इल्मुल समुल और तिब्ब-ए-कानून विषयों के पाठ्य विवरण की पुनरीक्षा हेतु कार्यशाला।
4. 26-27 फरवरी, 1999 को पुणे में यूनानी तिब्ब में कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के मन्तिक फलसफा एवं हैयात और तारीख-ए-तिब्ब विषयों पर कार्यशाला।

## नए यूनानी महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के अनुरूप कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय परिषद् ने न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं का आकलन करने के पश्चात् निम्न संस्थाओं को कामिल-ए-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दे दी :

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई।
1.	एच.एम.एस. यूनानी मेडिकल कालेज, दुमकुर	24.4.98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
2.	टीपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	5.5.98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
3.	हकीम सैयद जियाल हुसैन राजकीय तिब्बिया कालेज, भोपाल	8.9.98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

## परिदर्शन

यूनानी की स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा से संबंधित विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित निर्धारित न्यूनतम स्तरों व आवश्यकताओं के अनुरूप यूनानी में स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालयों में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और आवश्यकताओं के आकलन के उद्देश्य से वर्ष के दौरान निम्न यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया।

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई।
1.	ताज तिब्बिया कालेज एवं रसीदिया अस्पताल, नागपुर	2-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
2.	यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, पुणे	8-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
3.	इल्ने, सिना तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल वीनापाडा, आजमगढ़	22-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
4.	शल्फिया हमीदिया यूनानी तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, बुरहानपुर	2-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
5.	आयुर्वेद एवं यूनानी तिब्बिया कालेज, करोल बाग, नई दिल्ली	23-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

6.	फैकल्टी ऑफ यूनानी मेडिसिन जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	22-4-98 22-6-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
7.	शासकीय यूनानी मेडिकल कालेज, बंगलौर	12-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
8.	निजामिया यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, गया	16-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
9.	शासकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, इलाहाबाद	12-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
10.	एच.एम.एस. कालेज आफ यूनानी मेडिसिन, टुमकुर	24-25-4-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
11.	शासकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, मद्रास	30-4-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
12.	डॉ. अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कालेज, करनूल	22-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
13.	टीपू सुल्तान यूनानी मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	22-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
14.	अजमल खां तिब्बिया कालेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़	16-4-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
15.	जामिया तिब्बिया, देवबन्द	8-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
16.	मोहम्मदिया तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, मालेगांव	2-5-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
17.	अन्जुमन-ए-इस्लाम तिब्बिया कालेज एवं अस्पताल, नागपाडा मुम्बई	6-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
18.	कलकत्ता यूनानी मेडिकल कालेज, कलकत्ता	20-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
19.	शासकीय तकमिल-उल-तिब्ब कालेज एवं अस्पताल, लखनऊ	18-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
20.	अलमा इकबाल यूनानी मेडिकल कालेज, मुजफ्फरनगर	27-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
21.	जैड.एच.यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, सीवान	10-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
22.	अहमद गरीब यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्सलाम अस्पताल अक्कलकुआ	29-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
23.	सल्फिया यूनानी मेडिकल कालेज एवं यूनानी मेडिकल अस्पताल, दरभंगा	8-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
24.	देवबन्द यूनानी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, तलहेरीचुंगी, देवबन्द	9-6-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
25.	अल-फारुक यूनानी मेडिकल कालेज, इन्दौर	4-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
26.	शासकीय यूनानी मेडिकल कालेज कदम कुआ, पटना	13-7-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

27.	शासकीय निजामिया तिब्बिया कालेज, हैदराबाद	22-8-98	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
28.	बी.एल. कारदी यूनानी मेडिकल कालेज, बीजापुर	5-8-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई
29.	हकीम सैयद जिया-उल-हुसैन शासकीय तिब्बिया कालेज, भोपाल	8-9-98	स्नातकीय	अनुमति दी गई

सिद्ध

केन्द्रीय परिषद् ने 27 एवं 28 अगस्त 1998 को चेन्नई में सम्पन्न सिद्ध कार्यशाला में पुनरीक्षित बी.एस.एम.एस. पाठ्यक्रम की पाठ्यविधि और सिद्ध मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों के लिए न्यूनतम मानकों और आवश्यकताओं को अनुमोदित किया।

सिद्ध समिति ने सिद्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की शाखा V और VI क्रमशः नोई नडल और नन्जु नूलम मारूथवा नीथि नूलम के पाठ्य विवरण और पाठ्यविधि को अनुमोदित किया।

सिद्ध समिति ने संकल्प लिया कि भारत सरकार तमिलनाडु राज्य सरकार को निर्देश देवे कि तमिलनाडु सिद्ध चिकित्सा पद्धति चिकित्साभ्यासियों का विकास और पंजीकरण अधिनियम, 1970 के प्रावधानों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के प्रावधानों के अनुरूप संशोधित करें ताकि केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से बचा जा सके।

यह अंकित किया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताधारी सिद्ध चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों का प्रावधानकोर कोचीन मेडिकल काँसिल त्रिवेन्द्रम द्वारा पंजीयन नहीं किया जा रहा है। परिणामस्वरूप चिकित्साभ्यासी केरल राज्य में चिकित्साभ्यास नहीं कर सकते। अतः यह निर्णय लिया गया कि केरल राज्य सरकार और त्रावनकोर कोचीन मेडिकल काँसिल, त्रिवेन्द्रम से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुरोध किया जाए कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 को द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित मान्यता प्राप्त चिकित्सीय अर्हताओं के धारक सिद्ध चिकित्साभ्यासियों का प्रावधानकोर कोचीन मेडिकल काँसिल द्वारा पंजीयन किया जाए ताकि वे केरल राज्य में चिकित्साभ्यास कर सकें।

सिद्ध स्नातकीय और स्नातकोत्तर शिक्षा से संबंधित विनियमों के अधीन केन्द्रीय परिषद् द्वारा विहित निर्धारित न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप सिद्ध चिकित्सा पद्धति की स्नातकीय और स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए इन महाविद्यालयों में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों एवं आवश्यकताओं के आकलन के उद्देश्य से निम्न सिद्ध महाविद्यालयों का परिदर्शन किया गया :.

परिदर्शन

क्रम संख्या	महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई/ अनुमति नहीं दी गई।
1.	राजकीय सिद्ध मेडिकल कालिज, चेन्नई	24-4-98	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई
2.	राजकीय सिद्ध मेडिकल कालिज, पलायमकोट्टे	6-5-98/ 8-2-99	स्नातकोत्तर	अनुमति दी गई

## पंजीयन

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय लिया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका विनियम 1979 में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने हेतु नि-  
प्रावधान रखा जाए।

प्रत्येक पंजीकृत चिकित्साभ्यासी जिसका नाम भारतीय चिकित्सा के राज-  
रजिस्टर/भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर में दर्ज है को पांच वर्ष में एक बार राज-  
मंडल/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को निर्धारित प्रपत्र में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करन  
होगा।

ऐसा प्रमाण-पत्र न देने की स्थिति में राज्यमंडल/भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्  
संशोधित रजिस्टर में से उसका नाम काट दिया जाएगा।

केन्द्रीय परिषद् ने निर्णय किया कि जिन राज्यों में भारतीय चिकित्सा पद्धति क  
बोर्ड/परिषद् नहीं है के निवासी भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासी भारतीय चिकित्स  
केन्द्रीय परिषद् के विद्यमान विनियमों के अनुसार भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् में पंजीय  
हेतु सीधे आवेदन कर सकते हैं।

उन राज्यों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों के निवासी भारतीय चिकित्सा पद्धति  
चिकित्साभ्यासी, जहाँ भारतीय चिकित्सा पद्धति का बोर्ड/परिषद् है अपने राज्य मंडल/परिष  
के माध्यम से नामांकन प्रमाण-पत्र हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् को आवेदन भेज सक  
हैं। वे 500/- रु. देकर केन्द्रीय पंजिका में अपने नाम के अन्दराज का प्रमाण-पत्र प्राप्त क  
सकते हैं। उन्हें सीधे पंजीयन हेतु आवेदन भेजने की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्रीय परिषद् ने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी) सभापति, पंजीयन  
विनियम, शिक्षा एवं वित्त समिति तथा उप सभापति पंजीयन समिति की एक उप-समिति क  
गठन किया है जो पंजीयन से संबंधित प्रकरणों में विधि संबंधी मामलों, राज्य मंडल के पंजीय  
के मामलों और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 एवं भारतीय चिकित्स  
केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर) विनियम 1979 में संशोधन संबंध  
मामलों सहित अन्य मामलों की जांच करेगी।

वर्ष के दौरान पंजीयन से संबंधित प्रकरणों पर विचार करने के उद्देश्य से गठि  
उप-समिति द्वारा निम्न राज्यों के सचिव/निदेशक, भारतीय चिकित्सा पद्धति/निबन्धक राज्य-मंड  
के साथ उनके सम्मुख अंकित तिथियों को बैठकें आयोजित की गईं :-

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| 1. तमिलनाडु          | 10-11 सितम्बर, 1998 |
| 2. पश्चिमी बंगाल     | 1-2 दिसम्बर, 1998   |
| 3. जम्मू एवं काश्मीर | 11-12 फरवरी, 1999   |

सतर्कता विभाग के कार्यकलाप एवं उपलब्धियाँ

इस परिषद् में सतर्कता जांच का कोई मामला नहीं आया इसलिए वर्ष 1998-99  
दौरान सतर्कता का कोई कार्यकलाप नहीं था।

## प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद् ने वर्ष के दौरान दिनांक 16-4-1998 अपराह्न से डा. प्रेमराज शम  
के केन्द्रीय परिषद् में निबन्धक एवं सचिव के पद पर नियुक्त किया।

केन्द्रीय परिषद् एक लघु संगठन है तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक  
सावधानी रखी जाती है कि विभिन्न संवर्गों के लिए भारत सरकार द्वारा किया गया आरक्षण बनाए  
रखा जाए। केन्द्रीय परिषद् के 35 कर्मचारियों में से विभिन्न संवर्गों के लिए किया गया आरक्षण  
विम्नवत् है :-

अनुसूचित जाति	4
अनुसूचित जन-जाति	3
विकलांग	2
भूतपूर्व सैनिक	1

## बजट के स्रोत

परिषद् द्वारा वर्ष 1998-99 के लिए अनुमोदित बजट प्राकलन एवं संशोधित प्राकलन  
तथा सरकार द्वारा जारी/स्वीकृत निम्न प्रकार है :-

	गैर योजना रु लाखों में	योजना रु लाखों में
1. बजट प्राकलन 1998-99 (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	106.57	97.00
2. बजट प्राकलन 1998-99 (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	45.00	40.00
3. संशोधित प्राकलन (परिषद् द्वारा अनुमोदित)	129.00	51.50
4. मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान	50.00	45.00
5. संशोधित प्राकलन (मंत्रालय द्वारा स्वीकृत)	50.00	45.00

## भविष्य के कार्यक्रम

1. आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी के रनातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए वर्तमान पाठ्यविवरण की  
पुनरीक्षा।
2. भारतीय चिकित्सा के निम्न स्तरीय महाविद्यालयों की कुकुरमुत्ता वृद्धि पर रोक के उपाय।
3. भारतीय चिकित्सा के अयोग्य/अमान्य/पंजीकृत चिकित्साभ्यासियों पर रोक के उपाय।
4. भारतीय चिकित्सा पद्धति के विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विचार गोष्ठियाँ आयोजित  
करना।
5. भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का कम्प्यूटरीकरण करना।
6. केन्द्रीय पंजिका को अद्यतन करना।

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व,  
नई दिल्ली-110002

सं. ए. एम. जी. 11/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./99-2000/434 दिनांक : 8.3.2000

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र सहित श्री पी. आर. शर्मा, केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद् 61-65, संस्थागत क्षेत्र, जनकपुरी, नई दिल्ली-58 को उनके पत्र सं. 10-13/99 लेखा दिनांक 11.11.99 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसको शासीनिकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपान्तर की पांच प्रतियां भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

हस्ता०/  
उपनिदेशक लेखापरीक्षा  
(निरीक्षण-11)

सं. ओ. ए. 11/एस.ए.आर./सी.सी.आई.एम./99-2000/435 दिनांक : 8.3.2000

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सुनील कुमार राय प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट-ए.बी.), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय बहादुर शाहजफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं. 109 - रिपोर्ट (स्वा० नि०)/एम 148-99 दिनांक 29.2.2000के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।  
मुख्यालय की टिप्पणियां/अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न है।

यह नि.ले.प.के.रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुरूपक : यथोपरि

हस्ता०/  
उपनिदेशक लेखापरीक्षा  
(निरीक्षण)

वर्ष 1998-99 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

1. परिचय  
1. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् की स्थापना सन् 1971 में भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के न्यूनतम मानक विहित करने, भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि व उससे संबंधित अन्य मामलों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन की गई थी।  
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन बने परिषद् के विनियम 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार यथा अपेक्षित परिषद् के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अधीन की जाती है।  
परिषद् को वित्त पूर्ति मुख्यतया भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद् को वर्ष 1998-99 के दौरान गैर-योजना के अधीन 50 लाख रुपए और योजना के अधीन 45 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है।
2. लेखाओं पर अभिमत  
2.1. रु. 15,589 तथा रु. 2,709 का प्रोद्भूत ब्याज जो लेखाओं में नहीं दर्शाया गया (क) क्रमशः सामान्य भविष्यनिधि अंशदान तथा पेंशन निधि के विनियोजन पर प्रोद्भूत ब्याज को आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र में दर्शाना अपेक्षित था। परिणामतः परिषद् के लेखाओं में ब्याज पर कम लेखा जोखा है।  
परिषद् ने बतलाया कि वर्ष 1999-2000 के लिए लेखाओं में ब्याज सम्मिलित किया जाएगा। (नवम्बर, 1999)  
(ख) इसी तरह से प्रोद्भूत मान्यता शुल्क, जो 20.36 लाख रुपए था, को भी आय और व्यय लेखा में तथा तुलन-पत्र सामान्य लेखा में स्पष्ट रूप से दर्शित नहीं किया गया है। इसलिए लेखा परिषद् की वित्तीय स्थिति का सही और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत नहीं करते हैं।  
परिषद् ने बतलाया कि प्रोद्भूत शुल्क 14.30 लाख रुपए है और आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र में परिसम्पत्ति की ओर आवश्यक शुद्धि कर दी गई है अतः आय एवं व्यय लेखा तथा तुलन पत्र के नामे और जमा का योग प्रभावित नहीं होगा (नवम्बर, 1999)
- 2.2. रु. 20, 460/- के ब्याज का दायित्व में गणन न होना।  
विशेष जमा योजना शीर्ष के अधीन विनियोजन 1,70,500 रुपए पर भारतीय रिजर्व बैंक से नियमित तौर पर ब्याज के प्राप्त 20,460 वर्ष 1998-99 के लिए सामान्य भविष्य निधि के तुलन-पत्र में परिसम्पत्ति की ओर लेखा नहीं है परिणामतः लेखे में 20,460 रुपए के प्रोद्भूत ब्याज का लेखा जोखा कम है।  
परिषद् ने बतलाया कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमा ब्याज सहित जमा राशि प्राप्त होने पर ब्याज का आवश्यक समायोजन कर लिया जाएगा (नवम्बर 1999)
- 2.3. 16.17 लाख रुपए की परिसम्पत्ति पर अवमूल्यन नहीं होना।  
पूँजीगत परिसम्पत्ति पर गैर राजस्व अर्जित करने वाले संगठनों में परिसम्पत्ति के मूल्य में शी अवमूल्यन घटाना होता है। परिषद् के परिसम्पत्ति के लेखे बेकार अप्रयुक्त अपतिकाय, अनुपयोगी और निष्प्रयोजित परिसम्पत्ति सहित अर्जन का खाता मूल्य दर्शाते हैं और वर्ष 1998-99 के दौरान 16.17 लाख रुपए के पूँजीगत लेखे घटते हुए मूल्य के साथ अवमूल्यन को भी लेखे में नहीं लेते। इससे पूँजीगत और परिसम्पत्ति बढ़ा कर लिखे गए हैं। लेखे परिषद् की सम्पत्ति का सही चित्र नहीं दे रहे हैं।  
परिषद् ने बतलाया कि अवमूल्यन निकाल लिया जाएगा और वर्ष 1999-2000 के लेखे में दिखाया जाएगा (नवम्बर, 1999)

2.4 रु. 9.03 लाख रुपए का लेखों में गलत दर्शित करना।

परिषद् के सकल वेतन तथा भत्ते का लेखा जोखा करने के पश्चात् वर्ष 1998-99 के प्राप्तियां एवं भुगतान की ओर कर्मचारियों के वेतन में से सामान्य भविष्य निधि रु. 6,82,298, आयकर (42,131 और डाक जीवन बीमा रु. 78,158) की कटौती कर उसे परिषद् के प्राप्तियों में लिया गया है और पुनः उन्हें भुगतान के रूप में लेखे के भुगतान में दिखाया गया है। परिणामस्वरूप यह 9.03 लाख रुपए का गलत प्रतिबिम्ब है। उपयुक्त राशि परिषद् की नहीं है और इसे आय और फिर व्यय में नहीं दिखाना चाहिए था। इससे प्राप्तियों एवं भुगतान के आंकड़े स्फीत हुए हैं।

परिषद् ने बताया कि ये विरोधी अन्दराज हैं और भविष्य में लेखे में नहीं दर्शाए जायेंगे। (नवम्बर, 1999)

2.5 लेखाओं में 6,588 रुपए की बढ़ी हुई प्राप्ति।

(क) 6,588 रुपए की राशि के बैंक जो जारी किए गए परन्तु अदायगी के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए, को वर्ष 1998-99 के "प्राप्तियों एवं भुगतान" लेखे में प्राप्तियों में लिया गया है। भुगतान की ओर नया अन्दराज करने की बजाय पूर्व प्राप्ति की प्रविष्टियों को हटाने के लिए जिससे कि कम से कम व्यय इंगित हो रहा है। परिणामतः लेखे में 6,588 रुपए द्वारा प्राप्ति बढ़ी हुई दिखाई गई है।

(ख) इसी प्रकार से अनभुने बैंक शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाए गए 6,588/- रुपए की प्राप्ति प्रविष्टि के विरुद्ध 1998-99 के "प्राप्ति एवं भुगतान" के भुगतान में दर्शाए गए 6313/- रुपए के अनभुने बैंकों की राशि भी लेखे प्रकम के अनुसार नहीं है।

1993 से 1996 तक जारी 6588/- रुपए के बैंक कालातीत हो गए थे और इस तरह से उन्हें प्राप्ति में लिया गया जिसके विरुद्ध 6313 रुपए अदायगी की गई। 275/- रुपए की अदायगी नहीं की गई क्योंकि उसका कोई दावेदार नहीं था। (नवम्बर, 1999)

2.6 बैंक समायोजन

भारत सरकार के प्राप्तियां और भुगतान नियम, 1983 के नियम 13.5 के अनुसार प्रत्येक माह/वर्ष की समाप्ति पर बैंक विवरणिका का समायोजन आहरण और संवितरण अधिकारी के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। समायोजन में किसी प्रकार के विलम्ब के परिणामस्वरूप धोखाधड़ी और दुरुपयोग हो सकता है जो प्रबन्धक के ध्यान में नहीं आ सकता है। ऐसे समायोजन की अनुपस्थिति में बैंक में नकद राशि और लेखाओं में कैश बुक में दर्शाए गए अन्तः शेष का सही चित्रांकन सत्यापित नहीं हो सका।

परिषद् ने बताया कि कैश बुक और बैंक की विवरणिका के अनुसार रु. 7,47,549.82 के अन्तर के विरुद्ध रु. 6,18,220.82 के अन्तर को ठीक कर लिया गया है जबकि 1,29,329/- रुपए के अन्तर को अभी समायोजित करना है। (नवम्बर, 1999)

3. लेखा जोखा नीति

परिषद् को वार्षिक लेखाओं के साथ महत्वपूर्ण लेखा जोखा नीति को इंगित करना था जो मदको, यदि कोई हो, का नकदी के आधार पर लेखा जोखा नियम परिसम्पत्ति वस्तुसूची मूल्यांकन इत्यादि को दर्शाती हो। परिषद् को वार्षिक लेखे के साथ परिषद् के अधिशेष पर आयकर लागू न होना, सांविधिक नियमन पर छूट, आकस्मिक दायित्व के उपचार इत्यादि को भी परिशिष्ट करना था। परिषद् द्वारा इस तरह के प्रकरण से लेखे में पारदर्शिता आएगी। परिषद् ने महत्वपूर्ण लेखा जोखा नीति तथा लेखाओं की टिप्पणी परिशिष्ट नहीं की। परिषद् को इन टिप्पणियों को सम्मिलित करने का सूत्रपात करना चाहिए ताकि लेखों को केवल पढ़ा जा सके और इस तरह के प्रकटन के आधार पर पैरामीटर पर प्रमाणित किया जा सके।

परिषद् ने बताया कि अगले वर्ष से यह सूचना दी जाएगी। (जनवरी, 2000)

महानिदेशक लेखा परीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

## लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्, नई दिल्ली के 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च, 1999 को बना तुलन-पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप में प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद् की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और और तुलन-पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद् के कार्यकलापों का सही व उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

हस्ता०/

महानिदेशक लेखा परीक्षा  
केन्द्रीय राजस्व

स्थान : नई दिल्ली

तिथि :



## भारतीय चिकित्सा

नई

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियाँ	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
<b>1.4.98 को आद्य शेष</b>				
हस्तगत रोकड़	63,644.00		--	
बैंक में नकद	10,85,372.48		5,42,301	
हस्तगत डाक टिकटें	7,173.00	11,56,189.48	--	5,42,301
वर्ष 1998-99 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायता अनुदान		50,00,000.00		45,00,000
<b>कर्मचारियों से अग्रिमों की वसूली</b>				
पर्व अग्रिम	26,430.00			
स्कूटर अग्रिम	5,370.00			
कार अग्रिम				
गृह निर्माण अग्रिम	22,900.00	54,700.00		--
<b>विविध प्रेषण</b>				
सामान्य भविष्य निधि	6,82,598.00			
आयकर	1,42,131.00			
डाक जीवन बीमा	78,158.00	9,02,887.00		--
<b>सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय</b>				
1. निबन्धक के पद के लिए आवेदन शुल्क	523.00			
2. के.स.स्वा.योजना का अंशदान	8,080.00			
3. कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज	2,453.00			
4. अवकाश वेतन अंशदान	3,394.00			
5. पेंशन अंशदान	9,584.00			
6. बचत खाता शुल्क से प्राप्त ब्याज	24,640.89	48,674.89		

अग्नेनीत शेष

71,62,451.37

50,42,301

## कीर्त्तवीर्य परिषद

दिल्ली

लिए प्राप्तियां एवं भुगतानों का लेखा

अवधि	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
<b>1. वेतन एवं भत्ता</b>				
सचिव का वेतन	1,18,199			
कर्मचारियों का वेतन	17,29,249			
चिकित्सा बंदी भत्ता	44,566			
स्नातकोत्तर भत्ता	307			
संलग्न भत्ता	3,86,480			
गृहभाटक भत्ता	5,64,540			
पत्र प्रतिकार भत्ता	67,165			
साहज प्रभार भत्ता	65,377			
धुलाई भत्ता	1,620			
भाजा भत्ता	2,400			
वीनस	68,337			
शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	6,100			
के.स.स्वा.योजना अंशदान	34,515			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	36,285			
अवकाश यात्रा रियायत	40,121			
समाधीपरि भत्ता	18,014			
सावधान	4,400			
वेतन आयोग की बकाया राशि	6,38,983	38,26,658		
<b>2. आकस्मिक व्यय</b>				
(क) अनावृत्ती व्यय				
कर्मचारी एवं उपकरण	3,000		30,968	
कार्यालय उपकरण	6,499		5,63,110	
सातानुकूलित उपकरण	16,064	25,563	--	5,94,078
(ख) आवृत्ती व्यय				
लेखन सामग्री	1,33,891		24,937	
पूरमास	96,389		--	
डाक एवं तार	78,817		--	
समाचार पत्र एवं मासिक पत्रिका	9,480		--	
मनी	5,632			
<b>अग्नेनीत शेष</b>	<b>3,24,209</b>	<b>38,52,221</b>	<b>24,937</b>	<b>5,94,078</b>

पीछे से लाया शेष

मान्यता शुल्क

शुल्क : 1992-93 से 1997-98	5,05,000	
शुल्क : 1998-99	15,99,000	
शुल्क : नए महाविद्यालय	4,60,000	
शुल्क : 98-99 में अधिक प्राप्त	2,45,000	28,09,000.00

चैक जो भुने नहीं

बैंक में जमा	63,644.00	687,81.7	6,588.00
स्पष्टांक बैंक टिकट	10,85,372.48	845,85.71	
पर 1998-99 के दौरान स्वाम्य	7,173.00		
एच एच एच कल्याण संसाधन नई दिल्ली		3,88,480.8	
से प्राप्त सहायक अनुदान		2,04,040.2	
कर्मचारियों से अर्पित की प्रतुली		67,158	
पर्य अर्पित	26,430.00	523.1	
कर्मच अर्पित	5,370.00	100.5	
कार अर्पित		38,387	
गृह निर्माण अर्पित	24,900.00	4,707.8	
विशेष प्रेषण		34,215	
साहाय्य सुविध्य निधि	6,82,509.00	38,285	
आयकर	1,42,131.00	14,151	
बैंक जीवित बीमा	78,758.00	18,014	
	823,385.88	688,86.8	

1. निबंधक के पद के लिए		
अर्पित शुल्क	523.00	
2. केंद्र सहायक अनुदान	838,080.00	8,080.00
3. कर्मचारियों से अर्पित	2,453,000	2,453.00
4. अर्पित अनुदान	2,885,85	18,084
5. परिसर अनुदान	9,884.00	
6. सहायक अनुदान	1,33,881	
7. सहायक	34,215.85	
8. सहायक	98,388	
9. सहायक	78,817	
10. सहायक	9,480	
11. सहायक	2,625	

अग्रणीत शेष 99,78,039.37

पीछे से लाया गया शेष 3,24,209 38,52,221 24,937 5,94,078

लेखा परीक्षा शुल्क	1,07,700.00		
पुस्तक खय	12,588.00		
वित्त संबंधी व्यय	48,226.00		
विज्ञापन	24,259.00	8,50,000	
सांख्यिक उपकरणों का रखरखाव	23,368.00		
संसाधन	4,23,440.00		
सहायक प्रभार	12,487.00		
निविध प्रभार	1,41,825.00	1,96,875	
बैंक प्रभार	3,523.20	11,21,625.20	10,71,812

1. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	1,03,120.00		
2. सचिव/कर्मचारी	75,067.00		
3. कार्यकारिणी समिति	2,10,659.00		
4. शिक्षा समिति आयुर्वेद	1,89,347.00		
5. शिक्षा समिति यूनानी	65,033.00	9,02,887.00	
6. शिक्षा समिति सिद्ध	30,856.00		
7. विनियम समिति के सदस्य	40,460.00	6,313.00	
8. पंजीयन समिति के सदस्य	38,408.00		
9. सभ्य समिति के सदस्य	40,237.00		
10. वित्त समिति के सदस्य	58,796.00		
11. उप समिति के सदस्य	40,760.00	5,14,845	
12. परिवर्शन समिति आयुर्वेद	10,71,043.00	5,44,872.10	
13. परिवर्शन समिति यूनानी	7,21,095.00		3,14,945
14. परिवर्शन समिति सिद्ध	42,145.00		
15. परिवर्ण के सदस्य	16,463.00		
16. साहाय्य हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी	7,982.00		
17. आयुर्वेद पर कार्यशाला	--	10,89,475	
18. यूनानी पर कार्यशाला	--	10,81,668	
19. सिद्ध पर कार्यशाला	--	55,947	
20. विचार गोष्ठी	--	5,47,034	
21. राज्य मंडलों का परिदर्शन	--	27,51,471.00	87,442
			28,61,566

अग्रणीत शेष 77,25,317.20 45,27,456

पीछे से लाया शेष	99,78,039.37	50,42,30
मान्यता शुल्क		
शुल्क : 1992-93 से 1997-98		
शुल्क : 1998-99		
शुल्क / नए महाविद्यालय		
शुल्क : 98-99 में अतिरिक्त प्राय		
शेष जो मुझे नहीं		
कुल	99,78,039.37	50,42,30

पीछे से लाया गया शेष	77,25,317.20	45,27,456
4. कर्मचारियों को अग्रिम		
पूर्व अग्रिम	36,060.00	
कार अग्रिम	1,47,000.00	
गृह निर्माण अग्रिम	96,000.00	2,79,060.00
5. महाविद्यालयों को वापिस किया गया मान्यता शुल्क		10,000.00
6. पेंशन निधि में अंशदान	6,74,224.89	
7. सामान्य भविष्य निधि में ब्याज	35,365.18	
8. विविध प्रेषण		
सामान्य भविष्य निधि आयकर	6,82,598.00	
डाक जीवन बीमा	1,42,131.00	
	78,158.00	9,02,887.00
9. न भुने हुए चेक		6,313.00
10. 31.3.99 को अन्त शेष		
हस्तगत रोकड़		
बैंक में जकड़	3,40,538.10	5,14,845
हस्तगत डाक टिकटें	4,334.00	5,14,845
कुल	99,78,039.37	50,42,30

भारतीय चिकित्सा  
नई

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वा

व्यय	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
<b>1. वेतन एवं भत्ते</b>				
अधिकारियों का वेतन	1,18,199.00			
कर्मचारियों का वेतन	17,29,249.00			
चिकित्सा बंदी भत्ता	44,566.00			
स्नातकोत्तर भत्ता	307.00			
मंहगाई भत्ता	3,86,480.00			
गृहभाटक भत्ता	5,64,540.00			
नगर प्रतिकर भत्ता	67,165.00			
यातायात भत्ता	65,377.00			
वाहन प्रभार भत्ता	2,400.00			
धुलाई भत्ता	1,620.00			
बोनस	68,337.00			
शिक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति	6,100.00			
के.स.स्वा.योजना अंशदान	34,515.00			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	36,285.00			
अवकाश यात्रा रियायत	40,121.00			
समयोपरि भत्ता	18,014.00			
मानदेय	4,400.00			
वेतन आयोग का बकाया	6,38,983.00	38,26,658.00		
<b>2. आकस्मिक व्यय</b>				
लेखन सामग्री	1,33,891.00		24,937	
दूरभाष	96,389.00		--	
डाक एवं तार	78,817.00		--	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	9,480.00		--	
यूनीफार्म प्रभार	5,632.00		--	
लेखा शुल्क	1,07,700.00		--	
मुद्रण व्यय	12,588.00		--	
<b>अग्रणीत शेष</b>	<b>4,44,497.00</b>	<b>38,26,658.00</b>	<b>24,937</b>	

केन्द्रीय परिषद  
दिल्ली  
के लिए आय एवं व्यय का लेखा

अवधि	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
वर्ष 1998-99 के दौरान				
स्वास्थ्य एवं परिवार				
कल्याण मंत्रालय नई				
दिल्ली से प्राप्त				
सहायता अनुदान	50,00,000.00		45,00,000	
सहायता : पूंजीगत अनुदान	25,563.00	49,74,437.00	5,94,078	39,05,922.00
<b>विविध प्राप्ति</b>				
निवृत्तक पद हेतु आवेदन शुल्क	523.00			
के.स.स्वा.योजना का				
अंशदान कर्मचारियों से प्राप्त	8,080.00			
कर्मचारियों से प्राप्त व्याज	2,453.00			
अवकाश वेतन अंशदान	3,394.00			
पिधान अंशदान	9,584.00			
समा खाता शुल्क से प्राप्त व्याज	24,640.89			
न पुने हुए बैंक	6,588.00	55,262.89		
वर्ष 1998-99 के लिए				
उत्पन्न करने योग्य मान्यता शुल्क		36,35,000.00		
<b>अग्रणीत शेष</b>		<b>86,64,699.89</b>		<b>39,05,922.00</b>

पीछे से लाया गया शेष	4,44,497.00	38,26,658.00	24,937	
विधि सम्बन्धी व्यय	48,226.00			
विज्ञापन	24,259.00			
कार्यालय उपकरणों का				
रख.रखाव	23,368.00			
प्रकाशन	4,23,440.00			
वाहन प्रभार	12,487.00			
विविध प्रभार	1,41,825.00		1,96,875	
बैंक प्रभार	3,523.20	11,21,625.20		2,21,812
<b>3. यात्रा प्रभार</b>				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	1,03,120.00			
सचिव/कर्मचारी	75,067.00			
कार्यकारिणी समिति	2,10,659.00			
शिक्षा समिति (आयुर्वेद)	1,89,347.00			
शिक्षा समिति (यूनानी)	65,033.00			
शिक्षा समिति (सिद्ध)	30,856.00			
विनियम समिति	40,460.00			
पंजीयन समिति	38,408.00			
चयन समिति	40,237.00			
वित्त समिति	58,796.00			
उप-समिति	40,760.00			
परिदर्शन समिति (आयुर्वेद)	10,71,043.00			
परिदर्शन समिति (यूनानी)	7,21,095.00			
परिदर्शन समिति (सिद्ध)	42,145.00			
केन्द्रीय परिषद् के सदस्य	16,463.00			
साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित अथर्थी	7,982.00			
आयुर्वेद पर कार्यशाला			10,89,475	
यूनानी पर कार्यशाला			10,81,668	
सिद्ध पर कार्यशाला			55,947	
विचारगोष्ठी			5,47,034	
राज्यमंडलों का परिदर्शन		27,51,471.00	87,442	28,61,566.00
<b>4. महाविद्यालय को वापिस दिया गया मान्यता शुल्क</b>		10,000.00		
<b>5. पेंशन निधि में अंशदान</b>	5,632.00	6,74,224.89		
<b>6. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज</b>	700.00	35,365.18		
<b>7. अन भुने बैंक</b>	12,583.00	6,313.00		
<b>8. व्यय से आय की अधिकता</b>		2,39,042.62	8,22,544	
<b>कुल</b>		<b>86,64,699.89</b>	<b>39,05,922</b>	

पीछे से लाया गया शेष	86,64,699.89			39,05,922.00
विधि सम्बन्धी व्यय				
विज्ञापन				
कार्यालय उपकरणों का				
रख.रखाव				
प्रकाशन				
वाहन प्रभार				
विविध प्रभार				
बैंक प्रभार				
<b>3. यात्रा प्रभार</b>				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष				
सचिव/कर्मचारी				
कार्यकारिणी समिति				
शिक्षा समिति (आयुर्वेद)				
शिक्षा समिति (यूनानी)				
शिक्षा समिति (सिद्ध)				
विनियम समिति				
पंजीयन समिति				
चयन समिति				
वित्त समिति				
उप-समिति				
परिदर्शन समिति (आयुर्वेद)				
परिदर्शन समिति (यूनानी)				
परिदर्शन समिति (सिद्ध)				
केन्द्रीय परिषद् के सदस्य				
साक्षात्कार के लिए आमन्त्रित अथर्थी				
आयुर्वेद पर कार्यशाला			10,89,475	
यूनानी पर कार्यशाला			10,81,668	
सिद्ध पर कार्यशाला			55,947	
विचारगोष्ठी			5,47,034	
राज्यमंडलों का परिदर्शन		27,51,471.00	87,442	28,61,566.00
<b>4. महाविद्यालय को वापिस दिया गया मान्यता शुल्क</b>		10,000.00		
<b>5. पेंशन निधि में अंशदान</b>	5,632.00	6,74,224.89		
<b>6. सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज</b>	700.00	35,365.18		
<b>7. अन भुने बैंक</b>	12,583.00	6,313.00		
<b>8. व्यय से आय की अधिकता</b>		2,39,042.62	8,22,544	
<b>कुल</b>		<b>86,64,699.89</b>	<b>39,05,922</b>	

भारतीय चिकित्सा  
नई  
31 मार्च, 1999 को

दायित्व	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
सामान्य आरक्षित स्थापना के दिन प्राप्त परिसंपत्तियां गत तुलन पत्र के अनुसार		20,080.15		--
शासकीय अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियां गत तुलन-पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	7,89,726.22	8,15,289.22	1,87,852.00	5,94,078.00
उपकुल		8,35,369.37		7,81,930
व्यय से आय की अधिकता गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	35,09,287.48	37,48,330.10	5,62,261.00	22,544.00
मान्यता शुल्क गत तुलन पत्र के अनुसार घटाएँ : वर्ष के दौरान समायोजित वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,81,000.00 1,46,000.00 35,000.00	2,80,000.00		--
अग्रणीत शेष		48,63,699.47		21,66,735.00

कोन्द्रीय परिषद  
दिल्ली  
यथा तुलन पत्र

परिसम्पत्तियाँ	गैर योजना		योजना	
	राशि	राशि	राशि	राशि
(क) अनावर्तक प्रकृति				
1. फर्नीचर एवं उपस्कर गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	1,93,696.96	3,11,390.00	92,570.00	1,23,538
2. वातानुकूलित उपकरण गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	22,340.73	38,404.73		
3. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें गत तुलन पत्र के अनुसार		30,574.91		95,282
4. कार्यालय उपकरण गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	6,499.00	5,63,193.77	5,63,110	5,63,110
उपकुल		8,35,369.37		7,81,930
(ख) आवर्ती प्रकृति				
1. पूरमाण गत तुलन पत्र के अनुसार	9,228.00	9,228.00	19,960.00	19,960
2. पूर्व अग्रिम गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया वर्ष के दौरान की गई वसूली	13,620.00	36,060.00	49,680.00	26,430.00
3. स्कूटर अग्रिम गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान की गई वसूली	10,050.00	5,370.00	4,680.00	
अग्रणीत शेष		8,72,527.37		8,01,890.00



भारतीय चिकित्सा  
नई  
सामान्य

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष को

प्राप्तियां	राशि	राशि
स्टेट बैंक इण्डिया के बचत खाते में 1.4.98 को आद्य शेष कर्मचारियों द्वारा अंशदान	4,76,210.00	56,846.28
कर्मचारियों से अग्रिम की वसूली	2,06,388.00	6,82,598.00
बैंक से अर्जित ब्याज	1,44,088.82	
जोड़ें परिषद् के खाते से स्थानान्तरित	35,365.18	1,79,454.00
अल्पावधि परिपक्व विनियोजन		4,75,000.00
		13,93,898.28
कुल		

राष्ट्रीय परिषद्  
दिल्ली  
भविष्य निधि  
लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

विवरण	राशि	राशि
1. कर्मचारियों को निकासी		
(क) पेशगी वापसी	97,000	
(ख) आंशिक अन्तिम पेशगी	1,40,000	2,37,000.00
2. विनियोजन		
बैंक में अल्पावधि जमा	10,00,000.00	10,00,000.00
3. 31.3.99 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में अन्तः शेष	4,75,000.00	1,56,898.28
4. कर्मचारियों को अग्रिम		
पत्र तुलना पत्र के अनुसार	3,35,800.00	
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	97,000.00	
	4,32,800.00	
वर्ष के दौरान की गई	2,06,388	
बचत	700	13,93,898.28
जैसे 1996-97 में अल्पवधि	2,07,086	
3. 31.3.99 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बचत में अन्तः शेष		1,56,898.28



## भारतीय चिकित्सा

सामान्य

31 मार्च, 1999

1997-98	दायित्व	राशि	राशि
14,78,248.28	गत तुलन.पत्र के अनुसार	15,63,146.28	
	घटाएं 1996-97 में विमोचित	700.00	
14,78,248.28		15,62,446.28	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
2,40,212.00	अंशदान	4,76,210.00	
1,40,927.00	ब्याज	1,79,454.00	
18,59,387.28		22,18,110.28	
2,96,241.00	घटाएं.विमोचित	1,40,000.00	20,78,110.28
15,63,146.28			
	कुल		20,78,110.28

## राष्ट्रीय परिषद्

वित्तीय

प्रतिष्ठा निधि

को यथा तुलन.पत्र

1997-98	परिसम्पत्ति	राशि	राशि
	1. विनियोजन		
	(क) विशेष जमा योजना		
1,70,500.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	1,70,500.00	
	(ख) अत्यावधि जमा बैंक		
9,00,000.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	10,00,000.00	
1,00,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	10,00,000.00	
10,00,000.00		20,00,000.00	
90,000.00	घटाएं-विमोचित	4,75,000.00	15,25,000.00
10,00,000.00	2. कर्मचारियों को अग्रिम		
1,82,950.00	गत तुलन.पत्र के अनुसार	3,35,800.00	
9,99,900.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	97,000.00	
4,75,850.00		4,32,800.00	
1,40,050.00	वर्ष के दौरान की गई 2,06,388		
	वसूली	700	
4,35,800.00	जोड़े 1996-97 में समायोजित	2,07,088	2,25,712.00
56,846.28	3. 31.3.99 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बचत में अन्तः शेष		1,56,898.28
15,63,146.28	कुल		20,78,110.28

भारतीय चिकित्सा

पेंशन ए

31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष के

प्राप्तियाँ	राशि
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते में	5,42,277.10
1.4.98 को आद्य शेष	
वर्ष के दौरान अंशदान	6,74,224.89
बैंक से अर्जित ब्याज	1,47,587.39
अल्पावधि जमा योजना की परिपक्वता पर	8,87,960.00
<b>कुल</b>	<b>22,52,049.38</b>

15,63,822.87

कीर्त्तवीर परिषद

विविधी

संचयनी निधि

विविध प्राप्तियाँ एवं भुगतानों का लेखा

विविधी	राशि
संचयनी का मासिक पेंशन	1,74,213.00
कीर्त्तवीर परिषद को अन्तिम अदायगी	1,15,379.00
संचयनी को पांचवे वेतन आयोग की	
समाप्त राशि की अदायगी ।	5,61,927.00
समाप्ति जमा योजना में विनियोजन	9,00,000.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते में	
1.4.1999 को अन्तः शेष	5,00,530.39
<b>कुल</b>	<b>22,52,049.38</b>

भारतीय चिकित्सा  
नई  
पेंशन एवं  
31 मार्च, 1999

1997-98	दायित्व	राशि	राशि
6,12,655.70	गत तुलन-पत्र के अनुसार	14,30,237.10	
8,80,750.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	6,74,224.89	
1,48,124.40	ब्याज	1,47,587.39	
16,41,530.10		22,52,049.38	
2,11,293.00	घटाएं-विमोचित	8,51,519.00	14,00,530.38
14,30,237.10			
	कुल		14,00,530.38

केन्द्रीय परिषद  
दिल्ली  
मेम्बरी निधि  
को यथा तुलन-पत्र

1997-98	परिसम्पति	राशि	राशि
	विनियोजन		
4,00,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	8,87,960.00	
8,87,960.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	9,00,000.00	
12,87,960.00		17,87,960.00	
4,00,000.00	घटाएं-विमोचित	8,87,960.00	9,00,000.00
8,87,960.00	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के बचत खाते में 31.3.99 को अन्तः शेष		5,00,530.38
8,87,960.00			
14,30,237.10	कुल		14,00,530.38



## CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

### ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1998-99

The **Central Council of Indian Medicine** is a **Statutory Body** constituted under the **Indian Medicine Central Council Act, 1970** vide Govt. of India Gazette Notification Extraordinary Part II Section 3 (ii) dated 10.8.71. The Central Council was reconstituted in 1984 & 1995. The main objects of the Central Council are as under :-

- (i) To prescribe minimum standards of education in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb.
- (ii) To advise Central Government in matters relating to recognition/with-drawal of recognition of medical qualification in Indian Medicine.
- (iii) To maintain a Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
- (iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani Tibb at Under-graduate and Post graduate level.

All the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education, which include curriculum and syllabus prescribed by Central Council.

The Central Council decided in its 26th meeting dated 13th and 14th March 1996 to review the Curriculum & Syllabus already prescribed. It was decided to organise Workshops subject-wise to review the existing Curricula & Syllabi of Ayurveda, Siddha and Unani Tibb. Accordingly, during the year 1998-99 four workshops of Ayurved and four workshops of Unani were organised. Workshop on Siddha education is proposed to be held early in the next year.

#### ASSESSMENT OF EDUCATIONAL STANDARDS

The Council has already prescribed minimum standards of education and syllabi for studies. To verify the actual observance of these standards the Council has been sending teams of members to visit the educational institutions in the country. These teams submit the report to the Council pointing out shortcomings. These reports are carefully considered in the Council at different levels and a decision is taken for not permitting/permitting to admit a specified number of students commensurate with the over all facilities available in the institution. The institutions are simultaneously directed to remove the shortcomings pointed by the visiting teams within a specified period. As a

result of such strict monitoring the standard of teaching facilities is definitely improving progressively.

During the current year the programme of visitation was pursued more vigorously and 126 Ayurvedic colleges and 29 Unani Colleges were visited in order to assess the present status of available facilities for teaching and practical training as well as other requirements as laid down by the Central Council.

#### CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

Preparation and maintenance of Central Register of Indian Medicine is one of the main objects of Central Council. As per provision of the IMCC Act, 1970, Central Council is maintaining the Central Register in the prescribed manner, a register of Indian Medicine which is containing the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognised medical qualifications included in the Schedules to the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The maintenance of the Central Register of Indian Medicine and updating the same is a continuous process.

#### ADMINISTRATIVE REPORT

##### COMPOSITION OF THE CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

The following are the members of the third constituted Central Council :

##### AYURVED

1. Dr. Marry Vaman Reddy
2. Dr. Sivanandam
3. Dr. Gajendra Bharali
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Om Prakash Vashisth
9. Dr. Arvind Keshavlal Patel
10. Dr. Ramesh Bhai A. Bhuptani
11. Dr. Pawan Kumar Vashisth
12. Dr. Dev Narayan Sharma
13. Dr. Rudramani Sharma
14. Dr. Gyan Chand
15. Dr. Jaya Prakash Narayan
16. Dr. SV Savadi
17. Dr. Rajagopalan K
18. Dr. D Ramanathan
19. Dr. Ranvir Singh Parihar
20. Dr. Pramod Kumar Jain

21. Dr. Rajesh Shukla
22. Dr. Satish Dutt Garg
23. Dr. Gyan Kumar Ahuja
24. Dr. Kishan Vithaldas Shah
25. Dr. Ramesh Krishna Yadav
26. Dr. NV Salgarkar
27. Dr. Ghanshyam Mishra
28. Dr. Jagjeet Singh
29. Dr. Mukesh Wallia
30. Dr. Ved Prakash Tyagi
31. Dr. Mahendra Kumar Sharma
32. Dr. Raghunandan Sharma
33. Dr. P Narayanan
34. Dr. Mukesh Sharma
35. Dr. Patanjali Dwivedi
36. Dr. Vachaspati Trivedi
37. Dr. Bhrigupati Pandey
38. Dr. Kishor Mohan Sharma
39. Dr. Swapan Kumar Bhunia
40. Dr. Ramesh Chandra Bhattacharjee
41. Dr. PK Warriar
42. Dr. KK Pandey
43. Dr. Surendra Kumar Verma
44. Dr. RB Jain
45. Dr. T. Kishan
46. Dr. Anand Swaroop Upadhyaya
47. Dr. RV Sohgaura
48. Vaidya Dinanath R Upadhyaya
49. Vaidya GP Upadhyaya
50. Vaidya Rohidas Sambhu Patil
51. Vaidya SN Parchure
52. Vaidya Shri Mohan Narayan Tambe
53. Dr. Kailash Chandra Padhi
54. Vaidya Ram Bharosi Mishra
55. Vaidya NK Chawla
56. Dr. D Asthysayaraj
57. Dr. Lakshmi Narayan Maity
58. Vaidya SP Bhattacharjee
59. Vaidya I Sanjeeva Rao
60. Vaidya SK Sharma
61. Vaidya SK Mishra
62. Vaidya Devendra Kumar Triguna
63. Vaidya GL Chanana
64. Prof. Kulwant Singh
65. Prof. R Bharat Rajan
66. Vaidya Shri Ram Sharma
67. Vaidya SK Sharma Chhangani
68. Vaidya Sanjay Janardan Tilak

69. Vaidya RK Chhabra
70. Vaidya Abdul Wahid
71. Dr. Ved Vrat Sharma
72. Dr. CHS Shastri
73. Vaidya Hari Narayan Swamy
74. Vaidya B Vaidyanathan
75. Prof. Jyotir Mitra Acharya
76. Vaidya Sadhana Mishra
77. Vaidya Balendu Prakash

## AYURVED

78. Dr. V Stanley Jones
79. Dr. S Gopalkrishnan
80. Dr. V Arunachalam
81. Dr. MA Kumar

## UNANI

82. Dr. SS Rawat
83. Hakim Farooq Ahmed Abdul Aziz
84. Dr. Vinod Pundir
85. Dr. Bansilal Pandit
86. Prof. Hakim S Shaji Hyder
87. Dr. Mohd. Akhtar Masood Siddiqui
88. Prof. Hakim AM Khan
89. Hakim Ved Prakash Sharma
90. Hakim Saud Ali Khan
91. Dr. K Shafiullah Khan
92. Hakim Shamim Ahmed
93. Hakim Hafiz S Habibur Rahman
94. Hakim Syed Faizan Ahmed
95. Prof. Jamil Ahmed
96. Dr. MA Lari
97. Dr. Abu Bakar Khan
98. Dr. Madan Sarup Gupta
99. Hakim (Mrs.) Alia Aman
100. Dr. Ram Diita Sharma
101. Prof. Hakim S Khaleefathullah
102. Hakim Saifuddin Ahmed
103. Hakim AJ Khan
104. Prof. Hakim Shahbul Haq (upto 31.12.98)
105. Hakim Syed Immamudin Ahmad

## OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of Central Council of Indian Medicine :-

1. Vaidya Shri Ram Sharma President

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 2. Vaidya SKS Chhangani                     | Vice-President (Ayurved)    |
| 3. Dr. V Arunachalam                        | Vice-President (Siddha)     |
| 4. Prof. Hakim AM Khan                      | Vice-President (Unani)      |
| 5. Vaidya Devendra Kumar Triguna            | Member, Executive Committee |
| 6. Dr. Pramod Kumar Jain                    | -do-                        |
| 7. Dr. Sivanandam                           | -do-                        |
| 8. Vaidya Raghunandan Sharma                | -do-                        |
| 9. Dr. MA Kumar                             | -do-                        |
| 10. Dr. Madan Sarup Gupta                   | -do-                        |
| 11. Prof. Jamil Ahmed (upto 22.3.99)        | -do-                        |
| 12. Hakim Ved Prakash Sharma (from 22.3.99) | -do-                        |

As per Section 9(1) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970 the Central Council has the following main three committees, namely :-

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above Committees consist of members elected under clause (a), (b) and (c) of Sub-section (1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurveda, Siddha and Unani Tibb systems of Medicine respectively.

The Vice-Presidents for each of the Ayurved, Siddha and Unani Tibb systems of Medicine are respectively the Chairmen of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may give from time to time, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurveda, Siddha and Unani Tibb systems of Medicine, as the case may be within the competence of the Central Council.

### EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with Clause 5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Central Council of Indian Medicine within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. Members of all the three systems of Indian Medicine i.e. Ayurved, Siddha and Unani Tibb represent this Committee.

The Central Council has also the following committees constituted under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions :-

### REGULATION COMMITTEE

The Regulation Committee constituted by the Central Council makes various Regulations of the Central Council as required from time to time and

considers various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee :-

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Vaidya I Sanjeeva Rao       | Chairman      |
| 2. Dr. Ved Prakash Tyagi       | Vice-Chairman |
| 3. Dr. Ramesh Bhai A Bhuptani  | Member        |
| 4. Dr. P. Narayanan            | "             |
| 5. Dr. Rajesh Shukla           | "             |
| 6. Dr. Alakh Narayan Singh     | "             |
| 7. Dr. Gyan Kumar Ahuja        | "             |
| 8. Dr. A S Upadhyaya           | "             |
| 9. Dr. S K Bhunia              | "             |
| 10. Dr. R K Yadav              | "             |
| 11. Dr. K C Padhi              | "             |
| 12. Vaidya Abdul Wahid         | "             |
| 13. Vaidya B Vaidyanathan      | "             |
| 14. Dr. Maheshwar Pandey       | "             |
| 15. Dr. Gajendra Bharali       | "             |
| 16. Dr. S Gopala Krishnan      | "             |
| 17. Hakim Syed Imamuddin Ahmed | "             |
| 18. Hakim S Shafiullah Khan    | "             |
| 19. Dr. Bansilal Pandit        | "             |
| 20. Dr. S S Rawat              | "             |

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the ex-officio members of Regulation Committee.

### REGISTRATION COMMITTEE

The Registration Committee constituted by the Central Council look into the matters relating to registration and other allied matters like the preparation of Central Register of Indian Medicine.

The following are the members of the Registration Committee :-

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Dr. Jayaprakash Narayan     | Chairman      |
| 2. Dr. A K Patel               | Vice-Chairman |
| 3. Dr. Dev Narain Sharma       | Member        |
| 4. Dr. P K Vashishth           | "             |
| 5. Dr. Satish Dutt Garg        | "             |
| 6. Dr. D Ramanathan            | "             |
| 7. Dr. R Bharat Rajan          | "             |
| 8. Dr. D Athysayaraj           | "             |
| 9. Vaidya Rohidas Sambhu Patil | "             |
| 10. Dr. Gyan Kumar Ahuja       | "             |
| 11. Dr. N V Salgarkar          | "             |
| 12. Dr. M Vaman Reddy          | "             |

13. Dr. Vachaspati Trivedi
14. Dr. Mahendra Kumar Sharma
15. Vaidya M N Tambe
16. Vaidya Sanjay Janardan Tilak
17. Vaidya G P Upadhyaya
18. Vaidya R B Jain
19. Dr. Vinod. Pundir
20. Dr. R D Sharma
21. Hakim Akhtar Masood Siddiqui
22. Hakim Saud Ali Khan
23. Dr. V Stanley Jones

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the ex-officio members of Registration Committee.

### FINANCE COMMITTEE

The Finance Committee is constituted by Central Council to look into the financial matters of the Council.

The following are the members of Finance Committee :-

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Vaidya G L Chanana                   | Chairman      |
| 2. Hakim Abu Bakar Khan                 | Vice-Chairman |
| 3. Dr. M A Kumar                        | Member        |
| 4. Vaidya Mukesh Walia                  | "             |
| 5. Dr. D. Ramanathan                    | "             |
| 6. Dr. S S Rawat                        | "             |
| 7. Dr. D N Singh                        | "             |
| 8. Dr. Gyan Chand                       | "             |
| 9. Dr. P K Warriar                      | "             |
| 10. Vaidya Balendu Prakash              | "             |
| 11. Dr. K V Shah                        | "             |
| 12. Vaidya K K Pandey                   | "             |
| 13. Vaidya N K Chawla                   | "             |
| 14. Dr. Sadhna Mishra                   | "             |
| 15. Dr. K R Ramachandra (Upto 29.10.98) | "             |

President, Vice-Presidents (Ayurved, Siddha and Unani) are the Ex-officio members.

### EDUCATION COMMITTEE (AYURVED, SIDDHA, UNANI)

The Education Committees are constituted to deal with all matters pertaining to Educational Ayurveda, Siddha and Unani education respectively as well as to consider the proposals for recognition of degrees awarded by various Universities. The following are the members of the Education Committee of Ayurveda, Siddha and Unani :-

### AYURVEDA

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Vaidya S K Mishra                  | Chairman          |
| 2. Vaidya S K S Chhangani, V.P. (Ay.) | Ex.Officio Member |
| 3. Dr. C H S Shastry                  | Member            |
| 4. Vaidya S K Sharma                  | "                 |
| 5. Vaidya Kishan Vitthaladas Shah     | "                 |
| 6. Vaidya Jagjeet Singh               | "                 |
| 7. Vaidya Hari Narayan Swamy          | "                 |
| 8. Dr. L N Maity                      | "                 |
| 9. Vaidya Mukesh Sharma               | "                 |
| 10. Prof. Kulwant Singh               | "                 |
| 11. Dr. Rudramani Sharma              | "                 |
| 12. Vaidya Dinanath R Upadhyaya       | "                 |
| 13. Dr. S V Savadi                    | "                 |
| 14. Dr. O P Vashisht                  | "                 |
| 15. Vaidya S P Bhattacharjee          | "                 |
| 16. Dr. R C Bhattacharya              | "                 |
| 17. Dr. K Rajgopalan                  | "                 |
| 18. Vaidya Gauri Lal Chanana          | "                 |
| 19. Dr. D Ramanathan                  | "                 |
| 20. Prof. Jyotir Mitra Acharya        | "                 |
| 21. Vaidya A S Upadhyaya              | "                 |
| 22. Dr. R S Parihar                   | "                 |
| 23. Dr. R. V. Sohgaora                | "                 |
| 24. Dr. Bhrigupati Pandey             | "                 |
| 25. Dr. V P Tyagi                     | "                 |
| 26. Dr. Kishor Mohan Sharma           | "                 |
| 27. Prof. Vedvrat Sharma              | "                 |
| 28. Dr. Indra Mohan Jha               | "                 |
| 29. Dr. Patanjali Dwivedi             | "                 |
| 30. Dr. Vachaspati Trivedi            | "                 |
| 31. Vaidya S N Parchure               | "                 |
| 32. Vaidya Ghanshyam Mishra           | "                 |

### SIDDHA

- |                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Dr. V Arunachalam, V. P. (Siddha) | Chairman |
| 2. Dr. S Gopala Krishnan             | Member   |
| 3. Dr. M A Kumar                     | "        |
| 4. Dr. V Stanley Jones               | "        |

### UNANI

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Prof. Hakim Jamil Ahmed              | Chairman          |
| 2. Prof. Hakim A. M. Khan, V.P. (Unani) | Ex-Officio Member |



- |   |               |
|---|---------------|
| 3. Prof. Hakim Shahabul Haq (Upto 31.12.98) | Vice-Chairman |
| 4. Prof. Hakim S Shaji Hyder                | Member        |
| 5. Prof. Hakim S Imamuddin Ahmed            | "             |
| 6. Hakim A J Khan                           | "             |
| 7. Hakim Saud Ali Khan                      | "             |
| 8. Hakim Ved Prakash Sharma                 | "             |
| 9. Prof. Hakim Abu Bakar Khan               | "             |
| 10. Hakim (Mrs.) Alia Aman                  | "             |
| 11. Dr. S S Rawat                           | "             |
| 12. Hakim Bansilal Pandit                   | "             |
| 13. Dr. Madan Sarup Gupta                   | "             |
| 14. Hakim K Shafiulla Khan                  | "             |
| 15. Hakim Shamim Ahmed                      | "             |
| 16. Hakim Hafiz Habibur Rahman              | "             |
| 17. Hakim Vinod Pundir                      | "             |
| 18. Hakim Mohd. A M Siddiqui                | "             |

### MEETING OF THE COUNCIL AND COMMITTEES

During the year 1998-99 the following meetings were held :-

- |  |      |
|--|------|
| 1. Central Council of Indian Medicine                            | One  |
| 2. Ayurved Committee   | One  |
| 3. Siddha Committee  | One  |
| 4. Unani Committee   | One  |
| 5. Executive Committee   | Four |
| 6. Registration Committee  | One  |
| 7. Regulation Committee  | One  |
| 8. Finance Committee   | Two  |
| 9. Education Committee (Ayurved)                                 | Two  |
| 10. Education Committee (Siddha)                                 | One  |
| 11. Education Committee (Unani)                                  | One  |
| 12. Meeting of Sub-Committee of<br>Education Committee (Ayurved) | Two  |
| 13. Meeting of Selection Committee                               | One  |

### WORKSHOPS AND SEMINARS

1. Workshop to review the syllabi of Panchkarma for Under-graduate and Post-graduate Course of Ayurveda was organised on 14-15th September 1998 at Akola.
2. Workshop to review the syllabus of Preliminary subjects, Samhita and Maulik Siddhanta for Post-graduate Course of Ayurved held on 23-24th October 1998 at Jamnagar.
3. Workshop to review the syllabus of Kriya Sharir and Rachana Sharir of Post-graduate course of Ayurved and teaching methodology held on 18-19th December, 1998 at Ahmedabad.

4. Workshop to review the syllabus of Shalya, Shalakya, Agadtantra and Vyavhar Ayurved held on 5th and 6th March 1999 at Nasik.
5. Workshop on Mahetul Amraz (Pathology) and Kulliyat-e-Umoor-e-Tabiya (Basic Principle of Unani Medicine)\_ subjects of Kamil-e-Tib-o-Jarahat Course held on 11-12th September 1998 at Chennai.
6. Workshop on Ilmul Jarahat for Under-graduate & Post-graduate Surgery held on 21-22nd November 1998 at New Delhi.
7. Workshop to review the Syllabus of Ilmul Samoom and Tibb-e-Qanooni subject of Kamil-e-Tib-o-Jarahat course held on 29-30th January 1999 at Hyderabad.
8. Workshop on Mantique-Falsafa & Haiyat and Tarikh-e-tib subjects of Kamil-e-Tib-o- Jarahat course in Unani Tibb held on 26th & 27th February 1999 at Pune.
9. Seminar on Teaching Techniques and Methodology for Indian Systems of Medicine held on 23.3.99 at New Delhi.

The Central Council noted that there has been an increasing apprehension in the minds of professionals and the public at large that the amendments incorporated in the Indian Patent Law might create conditions conducive to the uncontrolled entry of Multinational Companies of Western countries and their Indian counterparts into the Indian Indigenous Medicine and Pharmaceutical Industry. Such a development is to be viewed with great concern and alarm because of its potential for causing fundamental changes in the way of development of traditional Indian systems which are practiced for centuries in the country and even abroad. The Ayurvedic and other systems of indigenous Medicine may lose their basic axiomatic tenets, thus, rendering the systems vulnerable to commercial exploitation leading to degeneration. The indigenous medicines may become much costlier, thus, hitting hard a large segment of the Indian population who are solely dependent on these traditional systems for their primary health care needs. In view of all these facts, it was felt necessary that the concerned department in the Government of India should be urged to take appropriate remedial measures to preserve the basic character of the indigenous Medicine Industry and thus to protect the vital interests of the common people of India.

The Central Council discussed the issue at great length and was of the opinion that appropriate remedial measures to preserve the character of indigenous basic Medicine industry and to protect the vital interest of common people of India need to be taken and decided to discuss the above issue and apprise Hon'ble President of India of the related consequences, a delegation of CCIM in the leadership of its President Vaidya Shriram Sharma may meet the President at the time convenient to him. Accordingly, the Hon'ble President of India was requested that a suitable appointment may be fixed for the meeting.

The Central Council constituted a sub-committee consisting of the following members to look into the matter in greater details for further necessary action :-

1. Vaidya G L Chanana
2. Prof. Jyotir Mitra Acharya
3. Prof. Kulwant Singh
4. Vaidya V P Tyagi
5. Vaidya K V Shah

### AYURVEDA

The salient features of the recommendations are as under :

Ayurved Committee decided that Ayurveda subjects viz. Charak, Sushrut, Madhav Nidan, Basic Principles, Sharir Rachana etc. may be included in the syllabus of Civil Services examinations of UPSC and State Government Examination as PCS/HSS so that Ayurved graduate may get opportunity to pass the examination in their own subjects. It was also decided to request to concerned authorities for inclusion of above mentioned subjects in various examinations.

In this connection it was further noted that Union Public Service Commission was requested to send the detailed contents of modern medicine to consider the matter. It was also noted that UPSC has furnished the contents of the syllabus of modern medicine. The Ayurved committee discussed the issue and constituted a Sub-Committee consisting of the following members for preparing the details of the subjects to be forwarded to the Ministry :-

1. Vaidya S K S Chhangani, Vice-President (Ayurved)
2. Vaidya S K Sharma, Advisor (Ayurveda & Siddha)
3. Dr. C H S Shastry, Director, ISM & H, NCT Delhi.

The Ayurveda Committee decided that all subjects of Ayurveda at Post-graduation level be treated as clinical for the purpose of providing OPD & IPD facilities as per requirements.

The Central Council decided that recommendations of the Central Council to include Ayurvedacharya (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery) degree awarded by North Maharashtra University, Jalgaon may be sent to the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Department of ISM & H, New Delhi for issuing Gazette Notification in the Gazette of India.

The Ayurved Committee decided that Ph.D in Ayurved might be treated as Post-graduate qualification for the benefit of the service condition only. But Ph.D may not be considered as sufficient qualification for the appointment of teaching staff in Ayurved colleges without M.D. (Ay.)/M.S. (Ay.).

The Ayurveda Committee reiterated its earlier decision to implement UGC pay scales to the teaching staff of the Ayurvedic colleges and decided that strict action may be taken to implement the same.

The syllabus of Post-graduate course of Ayurveda has been reviewed in different Workshops as per following details :

1. Workshop to review the Syllabi of Panchkarma for Under-graduate and Post-graduate Course in Ayurveda held on 14-15th September 1998 at Akola.
2. Workshop to review the syllabus of Preliminary subjects, Samhita and Maulik Siddhanta for Post-graduate course of Ayurveda held on 23-24th October 1998 at Jamnagar.
3. Workshop to review the syllabus of Kriya Sharir and Rachana Sharir of Post-graduate course of Ayurveda and Teaching Methodology to be organised on 18-19th December 1998 at Ahmedabad.
4. Workshop to review the syllabus of Shalya, Shalakya, Agadtantra and Vyavhar Ayurved held on 5th and 6th March 1999 at Nasik.

### PERMISSION TO NEW COLLEGES

The Central Council after assessing the minimum standards available at the following institutions for starting Ayurvedacharya course in conformity with the Minimum Standards and Requirements laid down by the Central Council granted permission for conducting Ayurvedacharya Course :-

1. Dhanwantri Ayurved College & Hospital, Siddhapur
2. Zakaria Ayurved Medical College, GULBARGA
3. Muniyal Ayurved Medical College MANIPAL, Udupi
4. Bhartiya Sanskrit Darshan Trust Ayurved Mahavidyalaya, WAGHOLI
5. Late Sunil Ramshinghji Chunawale Ayurved Mahavidyalaya, CHIKHLI
6. Kisan Ayurved Medical College, CHALISGAON
7. Shaheed Kartar Singh Sarabha Ayurved Medical College, RAIKOT (Punjab)
8. Gurunanak Ayurved Medical College, Jammu
9. Shri Sain Charitable Trust Ayurved Medical College, Jammu.

The Central Council did not grant permission for conducting Ayurvedacharya Course to Nitishwar Institute of Medical Sciences, Muzaffarpur (Bihar)

### VISITATION

The following Ayurved Colleges were visited for the purpose of assessing the Minimum Standards and Requirements available in these colleges for imparting Under-graduate/Post-graduate education of Ayurved in conformity with the Minimum Standards and Requirements prescribed/laid down by Central Council under the Regulations pertaining to Under-graduate/Post-graduate education of Ayurveda :-

S.No.	Name of the College	Date of Visitation	UG/PG	Permitted/ Not permitted
1.	TAME Society's Ayurved College Bhadrawati	2.6.98	UG	Permitted

2.	SDM College of Ayurved, Hasan	5.6.98	UG	Permitted
3.	KVG Ayurved Medical College & Hospital, Sulliya	19.5.98	UG	Permitted
4.	Alva's Ayurved Medical College, Moodbidri	18.5.98	UG	Permitted
5.	AV Samiti Ayurved Mahavidyalaya Bijapur	9.6.98	UG/PG	Permitted
6.	Sangam Sevabhavi Trust's Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner, Ahmednagar	8.5.98	UG	Permitted
7.	Siddhakala Ayurved Mahavidyalaya, Sangamner, Ahmednagar	9.5.98	UG	Permitted
8.	Chhatrapati Sahuji Maharaj Shikshan Sansthan Ayurved Mahavidyalaya, Kankanwadi, Aurangabad	13.6.98	UG	Permitted
9.	Desh Bhagat Ayurved Medical College & Hospital, Mandi Gobindgarh	3.6.98	UG	Permitted
10.	SSMD Ayurved College & Hospital, Moga	9.6.98	UG	Permitted
11.	Institute of Post-graduate Training & Research, Gujrat Ayurved University Jamnagar	19.5.98	PG	Permitted
12.	Gopabandhu Ayurved College, Puri	8.6.98	UG/PG	Permitted
13.	Shri Dhanwantri Ayurved College, Chandigarh	8.6.98/ 26.8.98	UG	Permitted
14.	Shri Gurudev Ayurved Mahavidhyalaya, Gurukunj Ashram Mozari, Amrawati	14.5.98	UG/PG	Permitted Not Permitted
15.	Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur	13.5.98	UG/PG	Permitted
16.	ALN Rao Memorial Ayurved Mahavidyalaya, Koppa	4.8.98	UG/PG	Permitted Not Permitted
17.	SV Ayurved College, Tirupati	1.6.98	UG	Permitted
18.	Venkataramana Ayurved College Chennai	2.6.98	UG	Permitted by Court
19.	Ravindranath Mukherji Ayurved Mahavidyalaya, Moti Hari	8.6.98	UG	Not Permitted
20.	Ayurved Medical College, Gaya	15.6.98	UG	Permitted
21.	Swami Raghuvendracharya Tridandi Ayurved College, Karjara, Gaya	16.6.98	UG	Permitted
22.	Shri Gulab Kunverba Ayurved Mahavidyalaya, Jamnagar	20.5.98	UG	Permitted
23.	Govt. Ashwini Ayurved College & Hospital, Indore	15.6.98	UG	Not Permitted

24.	Govt. Dhanwantri Ayurved, College, Ujjain	16.6.98	UG	Permitted
25.	Govt. Ayurved College, Jabalpur	15.6.98	UG	Permitted
26.	Ayurved Mahavidyalaya, Shri Shivaji Nagar, Rahuri Factory, Ahmednagar	12.6.98	UG	Permitted
27.	Dayanand Ayurved College, Jalandhar	4.6.98	UG	Permitted
28.	Shri Laxmi Narayan Ayurved College, Amritsar	5.6.98	UG	Permitted
29.	Bundelkhand Govt. Ayurved College, Jhansi	8.6.98	UG	Not permitted
30.	Govt. Ayurved College Atarra	9.6.98	UG	Not permitted
31.	JB Roy State Ayurved College Calcutta	15.6.98	UG	Permitted
32.	Shyamadas Vaidya Shastrapeeth Calcutta	15.6.98	PG	Permitted
33.	KGMP Ayurved College, Mumbai	8.6.98	UG/PG	Permitted
34.	Tilak Ayurved Mahavidyalaya Pune	4.6.98	UG/PG	Permitted
35.	RKT Ayurved Mahavidyalaya, Akola	12.6.98	UG/PG	Permitted
36.	RA Podar Ayurved Medical College, Mumbai	1.6.98	UG/PG	Permitted
37.	Vidarbha Ayurved Mahavidyalaya, Amrawati	12.6.98	UG/PG	Permitted
38.	Ayurved Mahavidyalaya, Sion, Mumbai	2.6.98	UG/PG	Permitted
39.	DMM Ayurved College Yeotmal	29.6.98	UG /PG	Permitted
40.	Govt. Ayurved College, Osmanabad	9.6.98	UG/PG	Permitted
41.	Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya, Sholapur	8.6.98	UG/PG	Permitted
42.	Govt. Akhandanand Ayurved Mahavidhyalaya, Bhadra, Ahmedabad	22.6.98	UG/PG	Permitted
43.	BNM Rural Ayurved College & Hospital, Bijapur	8.6.98	UG	Permitted
44.	Nalasopara Ayurved Medical College, Nalasopara	10.6.98	UG	Permitted
45.	Krishnarajendra Charitable Trust Institute of Ayurved Medical & Research, Bangalore	22.6.98	UG	Permitted
46.	Bapuji Ayurved Medical College, Shimoga	2.6.98	UG	Permitted
47.	Shri Basavashvar Vidya Vardhak Sangh, Ayurved Medical College, Bagalkot	11.6.98	UG	Permitted

48.	Veerpulikeshi Rural Ayurved Medical College, Badami	26.6.98	UG	Permitted
49.	Lala Lajpal Rai Ayurved Medical College, Moga	9.6.98	UG	Not Permitted
50.	Anuradha Ayurved Medical College, Chikhli	30.6.98	UG	Permitted
51.	JG Cooperative & Research Centre Ayurved Medical College, Ghataprabha	30.6.98	UG	Permitted
52.	Rural Education Trust Ayurved Medical College, Gavimath, Koppal	11.6.98	UG	Permitted
53.	TAME Society's Ayurved Medical College, Hospet	12.6.98	UG	Permitted
54.	Shri Hingulambika Education Society's Ayurved Mahavidyalaya, Gulbarga	18.5.98	UG	Permitted
55.	Kvj. Anant Tripathi Sharma Ayurved College, Ganjam	19.6.98	UG	Permitted
56.	Shri Nursingnath Ayurved College & Research Institute, Paikmal Distt. Sambalpur	20.6.98	UG	Permitted
57.	Shri OH Nazar Ayurved Mahavidyalaya, Surat	23.6.98	UG	Permitted
58.	Rajkiya Maharani Rameshwari Bhartiya Chikitsa Vigyan Sansthan, Mohanpur	24.6.98	UG	Not Permitted
59.	PBN Chikitsa Vigyan Sansthan Madhubani	23.6.98	UG	Not Permitted
60.	College of Ayurved & Research Centre Akurdi, Pune	26.5.98	UG	Permitted
61.	Bharti Vidyapeeth College of Ayurved, Pune	25.5.98	UG	Permitted
62.	Ayurved Mahavidyalaya, Pusad	21.5.98	UG	Permitted
63.	Kalidas Ayurved Medical College, Badami	27.6.98	UG	Permitted
64.	Rajiv Gandhi Education Society Ayurved Medical College, Ron	9.6.98	UG	Permitted
65.	Mai Bhago Ayurved Medical College (For women) Muktsar.	23.6.98	UG	Permitted
66.	Shri Bhartesh Vidya Mandal Gramin Ayurved Medical College, Terdal	12.6.98	UG	Permitted
67.	Shri Shiva Yogeshwar Rural Ayurved Medical College, Inchal	29.6.98	UG	Permitted
68.	VSS Ayurved Mahavidyalaya Mysore	29.6.98	UG	Not Permitted

69.	Bhagwan Mahavir Jain Ayurved College, Gajendragarh	8.6.98	UG	Permitted
70.	Hanuman Shikshan Prasarak Mandal's Ayurved College Kolhapur	7.7.98	UG	Permitted
71.	Mahaganapati Ayurved Medical College, Dharwad	7.7.98	UG	Permitted
72.	SS Ayurved Medical College, Haveri	27.6.98	UG	Permitted
73.	Bhartiya Sanskrit Darshan Trust Ayurved Hospital & Research Centre, Wagholi	8.7.98	UG	Permitted
74.	Kannada Balaga Society's Rural Ayurved Medical College, Belgaum	8.7.98	UG	Permitted
75.	SGV Ayurved Medical College, Bailhongal	8.7.98	UG	Permitted
76.	Gramin Ayurved Mahavidyalaya Patur	22.5.98	UG	Permitted
77.	Ashwani Education Society's Ayurved Medical College, Davangere	5.6.98	UG	Permitted
78.	Nitishwar Institute of Indian Medical Sciences, Muzaffarpur	9.6.98	UG	Not Permitted
79.	YMTA Medical College Mumbai	3.6.98	UG	Permitted
80.	Gurunanak Ayurved College & Hospital, Muktsar	22.6.98	UG	Permitted
81.	Shree Bhanwar Lal Dugar Ayurved Vishwabharti (Gandhi Vidhya Mandir), Sardarshahar	1.7.98	UG	Permitted
82.	Vasantdada Patil Ayurved Medical College, Sangli	6.7.98	UG	Permitted
83.	Parsurampuriya Ayurved College, Sikar	9.7.98	UG	Permitted
84.	NK Jabashetty Ayurved Medical College, Bidar	13.6.98	UG	Permitted
85.	Muniyal College of Ayurveda Udupi Manipal	10.7.98	UG	Permitted
86.	JSS Ayurved Medical College, Mysore	22.6.98	UG	Permitted
87.	Shri Kalabharaveswara Swamy Ayurved Medical College, Adichinchingri Math, Vijaynagar Bangalore	22.6.98	UG	Permitted
88.	Bhauasaheb Mulak Ayurved Mahavidyalaya & Hospital Nandanvan, Nagpur	16.6.98	UG	Permitted

89.	Dhule Charitable Society's Ayurved Mahavidyalaya, Dhule	25.8.98	UG	Permitted
90.	Dada Saheb Sarup Singh Naik Ayurved Mahavidyalaya, Dhule	26.5.98	UG	Permitted
91.	Bapuji Ayurved Medical College, Challakere, Chitradurga	21.5.98	UG	Permitted
92.	Amrutha Ayurved Medical College, Chitradurga	20.5.98	UG	Permitted
93.	Jakariya Ayurved Medical College, Gulbarga	12.6.98	UG	Not permitted
94.	KLE Society's Shree BMK Ayurved Mahavidyalaya, Belgaum	6.7.98	UG/PG	Permitted
95.	Mahamana Madan Mohan Govt. Ayurved College, Udaipur	25.5.98	UG/PG	Permitted
96.	National Institute of Ayurved, Jaipur	27.5.98	UG/PG	Permitted
97.	Govt. Ayurved College, Nagpur	15.6.98	UG/PG	Permitted
98.	RJVS Bhaishab Sawant Ayurved Mahavidyalaya, Sawantwadi	29.6.98	UG	Permitted
99.	Bharteeya Sanskrit Prabodhini Gomantak Ayurved Mahavidyalaya, Goa	30.6.98	UG	Permitted
100.	Guru Valmeeki Maharshi Ayurved Medical College, Jaglur, Chitradurga	4.6.98	UG	Not permitted
101.	Shri Vijaya Mahantesh Ayurved Medical College, Ilkal	26.7.98	UG	Permitted
102.	Taluka Shikshan Prasarak Mandal Ayurved Medical College, Sindhagi, Bijapur	25.6.98	UG	Permitted
103.	Shri SBS Ayurved Medical College, Mundargi	23.6.98	UG	Permitted
104.	Maharashtra Arogya Mandal's Ayurved Mahavidyalaya, Hadapsar, Pune	5.6.98	UG/PG	Permitted
105.	Ashtang Ayurved Mahavidyalaya, Pune	6.6.98	UG/PG	Permitted
106.	Shree DG Melmalgi Ayurved Mahavidyalaya, Gadag	22.6.98	UG/PG	Permitted
107.	Shri Sain Charitable Trust Institute of Ayurved & Research Centre, Jammu	9.6.98	UG	Permitted
108.	Guru Nanak Ayurved Medical College, Jammu	5.10.98	UG	Permitted
109.	Gaᅅga Education Society's Ayurved Medical College, Kolhapur	24.7.98	UG	Permitted
110.	Yashwant Ayurved Mahavidyalaya, Kodoli, Kolhapur	23.7.98	UG	Permitted

111.	Chaitanya Ayurved Mahavidyalaya, Bhusawal	29.8.98	UG	Permitted
112.	Kisan Danoyday Mandal Ayurved Mahavidyalaya, Chalisgaon	30.8.98	UG	Permitted
113.	Dhanwantri Ayurved College & Research Centre, Siddapur	7.9.98	UG	Permitted
114.	KGN Ayurved Medical College, Dehradun	25.8.98	UG	Not permitted
115.	Doon Ayurved Medical College, Dehradun	24.8.98	UG	Not permitted
116.	Shaheed Kartar Singh Sarbha Ayurved Medical College, Raikot, Punjab	18.9.98	UG	Permitted
117.	Late Sunil Ram Shingli Chunawale Ayurved Medical College, Chikhli	26.9.98	UG	Permitted
118.	Khushilal Sharma Ayurved Mahavidyalaya, Bhopal	30.11.98	UG	Permitted
119.	Mayurbhanj Ayurved Mahavidyalaya, Baripada	16.11.98	UG	Permitted
120.	Rishikul State Ayurved College, Haridwar	25.11.98	UG/PG	Permitted
121.	Rajiv Gandhi Govt. Ayurved College, Paprola	11.1.99	UG/PG	Permitted
122.	Shri Maru Singh Memorial Mahila Ayurved Degree College, Khanpur Kalan, Sonapat	16.11.98	UG	Permitted
123.	Govt. Ayurved College, Gurukul Kangri, Haridwar	26.11.98	UG	Permitted
124.	SK Government Ayurved College, Kurukshetra	17.11.98	UG	Permitted
125.	Gaur Brahmin Ayurved College, Rohtak	18.11.98	UG	Permitted
126.	Govt. Ayurved College, Bolangir	17.11.98	UG	Permitted

### UNANI

The salient features of the recommendations made are as under :-

The Unani Committee noted that Government of J&K, Department of Health & Family Welfare Education vide their letter No. 40-2/99 dated 15.1.99 has stated that in J&K Urdu is not a subject in 10+2 (Science Group) and, therefore, the candidate with a qualification prescribed by Central Council of Indian Medicine are not available for selection. The Central Council of Indian Medicine has amended rule and as per the revised rules requirement for Urdu in the qualifying examination has been dispensed with. It was decided that it has already been agreed in principle to start Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Hindi/English or any other regional languages provided the textbooks are being made available.

It was further decided that candidate passed Urdu at 10th level or its equivalent be considered eligible for the admission in Kamil-e-tib-o-Jarahat course after passing the qualifying examination and prescribed regulation be followed strictly.

The Unani Committee decided that knowledge of Urdu will be considered essential for admission to the course and a candidate desirous to join the course who may not have Urdu at the Senior Secondary level, but is otherwise qualify will be required to appear and pass a test in Urdu language to be conducted by the college as well as by University.

The Unani Committee noted that in J&K State some graduates of Unani System of Medicine have passed the Diploma in Hospital Administration from reputed institution. It has been observed that these are being neglected/deprived of the chances at the time of appointment in administrative posts.

The Central Council decided that the state govt. be approached to issue a directive that preference be given to the graduates of ISM who are also Diploma holders in hospital Administration while filling the administrative post in Unani Hospitals in the state.

The Central Council decided that Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) degree awarded by Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore be included in Second Schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970.

The Central Council decided that Kamil-e-tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine & Surgery) degree awarded by Jamia Hamdard, New Delhi which be included/recognised in the Second Schedule to IMCC Act, 1970 upto 1995-96 be recognised from 1996 onwards also.

The Committee noted that the syllabus of Kamil-e-tib-o-Jarahat course has been reviewed in Workshops as per following details :-

1. Workshop on Mahetul Amraz (Pathology) and Kulliyat-e-Umoor-e-Tabiya (Basic Principle of Unani Medicine) subjects of BUMS course held on 11-12th September 1998 at Chennai.
2. Workshop on Ilmul Jarahat for Under-graduate & Post-graduate Surgery held on 21-22nd November 1998 at New Delhi.
3. Workshop to review the syllabus of Ilmul Samoom and Tibb-e-Qanooni subject of Kamil-e-tib-o-Jarahat course held on 29-30th January 1999 at Hyderabad.
4. Workshop on Mantique-Falsafa & Haiyat and Tarikh-e-tib subjects of Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani Tibb held on 26th and 27th February 1999 at Pune.

#### PERMISSION TO NEW COLLEGES

The Central Council after assessing the Minimum Standards and

Requirements available at the following institution for starting Kamil-e-tib-o-Jarahat course of Unani in conformity with the Minimum Standards and Requirements laid down by the Council granted permission for conducting Kamil-e-tib-o-Jarahat Course :-

S.No.	Name of the College	Date of Visitation	UG/PG	Permitted/ Not permitted
1.	HMS Unani Medical College, Tumkur	24.4.98	UG	Permitted
2.	Tipu Sultan Unani Medical College, Gulbarga	5.5.98	UG	Permitted
3.	Hakim Syed Zial Hussain Govt. Tibbia College, Bhopal	8.9.98	UG	Permitted

#### VISITATION

The following Unani Colleges were visited during the year for the purpose of assessing the Minimum Standards and Requirements available in these colleges for imparting Under-graduate/Post-graduate education of Unani in conformity with the Minimum standards and requirements prescribed/laid down by Central Council under the Regulations pertaining to Under-graduate/Post-graduate education of Unani :-

S.No.	Name of the College	Date of Visitation	UG/PG	Permitted/ Not permitted
1.	Taj Tibbia College & Rasheedia Hospital, Nagpur	2.6.98	UG	Permitted
2.	Unani Medical College & Hospital Pune	8.5.98	UG	Permitted
3.	Ibn-e-Sina Tibbia College & Hospital Bennapara, Azamgarh	22.5.98	UG	Permitted
4.	Salfia Hamidia Unani Tibbia College & Hospital, Burhanpur	2.5.98	UG	Permitted
5.	A & U Tibbia College, Karol Bagh, New Delhi	23.5.98	UG	Permitted
6.	Faculty of Unani Medicine, Jamia Hamdard, New Delhi	22.4.98/ 22.6.98	UG/PG	Permitted
7.	Govt. Unani Medical College, Bangalore	12.5.98	UG	Permitted
8.	Nizamia Unani Medical College & Hospital, Gaya	16.5.98	UG	Permitted
9.	State Unani Medical College & Hospital, Allahabad	12.5.98	UG	Permitted
10.	HMS College of Unani Medicine Tumkur	24-25.4.98	UG	Permitted

11.	Govt. Unani Medical College & Hospital, Madras	30.4.98	UG	Permitted
12.	Dr. Abdul Haq Unani Medical College, Kurnool	22.5.98	UG	Permitted
13.	Tipu Sultan Unani Medical College, Gulabarga	22.5.98	UG	Permitted
14.	Ajmal Khan Tibbia College, AMU, Aligarh	16.4.98	UG	Permitted
15.	Jamia Tibbia Deoband, Deoband	8.6.98	UG	Permitted
16.	Mohammedia Tibbia College & Assayer Hospital, Malegaon.	2.5.98	UG	Permitted
17.	Anjuman-e-Islam's Tibbia College & Hospital, Nagpada, Mumbai	6.7.98	UG	Permitted
18.	Calcutta Unani Medical College, Calcutta	20.6.98	UG	Permitted
19.	State Takmil-ul-Tibb College & Hospital, Lucknow	18.6.98	UG	Permitted
20.	Allama Iqbal Unani Medical College, Muzaffarnagar	27.6.98	UG	Permitted
21.	ZH Unani Medical College & Hospital, Siwan	10.7.98	UG	Permitted
22.	Ahmad Garib Unani Medical College & Assalam Hospital, Akkalkuwa	29.6.98	UG	Permitted
23.	Salfia Unani Medical College & Unani Medical Hospital, Darbhanga	8.7.98	UG	Permitted
24.	Deoband Unani Medical College & Hospital, Talheri Chungi, Deoband	9.6.98	UG	Permitted
25.	Al Farooque Unani Medical College, Indore	4.7.98	UG	Permitted
26.	Govt. Unani Medical College, Kadam Kuan, Patna	13.7.98	UG	Permitted
27.	Govt. Nizamia Tibbia College, Hyderabad	22.8.98	UG/PG	Permitted
28.	BL Karadi Unani Medical College, Bijapur	5.8.98	UG	Permitted
29.	Hakim Syed Zual Hussain Govt. Tibbia College, Bhopal	8.9.98	UG	Permitted

### SIDDHA

The Central Council approved the Curriculum of BSMS course of Siddha and Minimum standards and requirements for Siddha Medical Colleges and attached hospitals reviewed in the Workshop of Siddha held on 27th & 28th August 1998 at Chennai.

The Siddha Committee approved the Syllabus and Curriculum of

Post-graduate Course of Siddha Branch V & VI Noi Nadal and Nanjunoolum Maruthuva Nithi Noolum of Siddha respectively.

The Siddha Committee resolved that Government of India may direct the State Government of Tamilnadu that provisions of Tamilnadu Siddha System of Medicine (Development and Registration of Practitioners) Act, 1997 be amended in accordance with the provisions of Indian Medicine Central Council Act, 1970 to avoid the violation of the provisions of Central Act.

It was noted that practitioners of Siddha System of Medicine possessing the recognised medical qualification under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 are not being registered by Travancore Cochin Medical Council, Trivandrum as a result these practitioners can not practice in Kerala State. It was, therefore, resolved that State Government of Kerala and Travancore Cochin Medical Council Trivandrum be requested by Central Council of Indian Medicine to provide the registration by Travancore Cochin Medical Council, Trivandrum to the Siddha Medical Practitioners having a recognised medical qualification included in the schedule to Indian Medicine Central Council Act, 1970 to enable them to practice in Kerala State.

The following Siddha Colleges were visited during the year for the purpose of assessing the Minimum Standards and Requirements available at these colleges for imparting Under-graduate and Post-graduate education of Siddha System of Medicine in conformity with the Minimum Standards and Requirements prescribed/laid down by Central Council under the regulations pertaining to Under-graduate & Post-graduate education of Siddha.

### VISITATION

No.	Name of the College	Date of Visitation	UG/PG	Permitted/ Not permitted
1	Govt. Siddha Medical College, Chennai	24.4.98	PG	Permitted
2	Govt. Siddha Medical College, Palayamkottai	6.5.98/ 8-9.2.98	PG	Permitted

### REGISTRATION

The Central Council decided that the provision of furnishing the "Live Certificate" be incorporated in the Central Council of Indian Medicine (Central Register of Indian Medicine) Regulations, 1979 as under :-

"Every Registered Medical Practitioner whose name is entered in the State Register of Indian Medicine/Central Register of Indian Medicine shall submit a 'LIVE CERTIFICATE' in the prescribed form once in five (05) years to the State Board/Central Council of Indian Medicine.

Failure to submit such a certificate will result in removal of the name from the Revised Register of the State Board/Central Council of Indian Medicine."

The Central Council decided that :-

"The practitioners of ISM residing in the State or Union Territory where there is no Board/Council of ISM, can apply for direct registration to the Central Council of Indian Medicine in accordance with the existing regulations.

The practitioners of ISM residing in a State or Union Territory where there is Board/Council of ISM, should apply to Central Council of Indian Medicine for certificate of enrolment through their State Boards/Councils. They can obtain certificate of entry of their name in Central Register on payment of Rs. 500/-. They need not apply for direct registration."

The Central Council constituted a Sub-committee consisting of President and Vice-President (Ayurved/Siddha/Unani) Chairmen of Registration, Regulation, Education & Finance Committees and Vice-Chairman of Registration Committee to look into the legal matters involved in connection with the issues relating to registration, matter of enlistment by the State Board and other related issues including amendment in the IMCC Act, 1970 and Central Council of Indian Medicine (Central Register of Indian Medicine) Regulations, 1979.

During the year, three meetings of Sub-committee constituted for the purpose to discuss the issues pertaining to Registration etc. were held on 10th & 11th September 1998, 1st & 2nd December 1998 and 11th and 12th February 1999 with the authorities of State Government/Directors of ISM of Government of Tamilnadu, West Bengal and Tamilnadu Board of Indian Medicine, Chennai, Paschim Banga Ayurved Parishad, Calcutta and Board of Ayurved & Unani Systems of Medicine.

#### ACTIVITIES & ACHIEVEMENT OF THE VIGILANCE DEPARTMENT

No case of vigilance inquiry was received in this Council, therefore, no vigilance activity occurred during the year 1998-99.

#### ADMINISTRATION AND FINANCE

Central Council appointed Dr. PR Sharma to the post of Registrar-cum-Secretary in the Central Council during the year w.e.f. 16.4.1998 (afternoon)

The Central Council is a small organisation. However, every care is being taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained.

Out of 35 employees of the Central Council, the reservations made for

different categories are as under :-

1. Schedule Caste	Six
2. Schedule Tribe	Three
3. Physically Handicapped	Two
4. Ex-serviceman	One

#### BUDGETARY RESOURCES

The Council approved the Budget Estimate and Revised Estimate for the year 1998-99 and released/sanction by the Government are as under :-

	NON-PLAN Rs. In lakh	PLAN Rs. In lakh
1. Budget Estimates 1998-99 (Approved by the Council)	106.57	97.00
2. Budget Estimates 1998-99 (Sanctioned by the Ministry)	45.00	40.00
3. Revised Estimates 1998-99 (Approved by the Council)	129.00	51.50
4. Revised Estimates 1998-99 (Sanctioned by the Ministry)	50.00	45.00
5. Grant-in-aid released by Ministry	50.00	45.00

#### FUTURE PROGRAMME

1. To review the existing syllabus for Post-graduate course of Ayurved/Siddha/Unani.
2. Steps to check mushroom growth of Sub-standard colleges of Indian Medicine.
3. Steps to check unauthorised practice by unqualified/unrecognised/unregistered practitioners of Indian Medicine.
4. To organise Seminars on various important topics of Indian Systems of Medicine.
5. To computerise the Central Register of Indian Medicine.
6. To make the Central Register update.



**OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES  
NEW DELHI 110002**

NO. AMG11/SAR/CCIM/99-2000/434

Dated : 8.3.2000

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate is forwarded to Shri PR Sharma, Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65 Institutional Area, Janakpuri, New Delhi 110058 for necessary action with reference to their letter No. 10-13/99-Accts. Dated 11.11.99. The date on which the certified Annual Accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of Hindi version of the certified Annual Accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-

Dy. Director Audit  
(Inspection - II)

No. AMG11/SAR/CCIM/99-2000/434

Dated 8.3.2000

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sunil Kumar Rai, Administrative Officer (Rep-AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 109-Report (Health Deptt.)/148-99 dated 29.2.2000.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is enclosed.

This is issued with the approval of DACR.

Sd/-

Dy. Director Audit  
(Inspection - II)

Encl. As above.

**AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE  
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI  
FOR THE YEAR 1998-99.**

**1. Introduction**

The Central Council of Indian Medicine, New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objects of prescribing minimum standards of education for courses in Indian System of Medicine, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1977 under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are Audited under section 19(2) of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grant of Rs. 50 lakh under Non-Plan and Rs. 45 lakh under Plan during 1998-99.

**2. Comments on account****2.1 Accrued interest of Rs. 15589 and Rs. 2709 not exhibited in account**

(a) Accrued interest of Rs. 15589 and Rs. 2709 worked out on investment of GPF subscription and pension fund respectively during the year 1998-99 was required to be exhibited in the Income and Expenditure account and balance Sheet. This has resulted in short accountal on interest in Accounts of the Council.

The council stated that interest would be included in the account for the year 1999-2000 (Nov. 1999)

(b) Similarly accrued recognition fee which was worked out to Rs. 2 lakh had also not reflected distinctly in Income and Expenditure account and Balance Sheet (General Account). The Accounts therefore, do not depict a true and fair view of financial position of the Council.

The council stated that accrued fee come to Rs. 14.30 lakh necessary corrections in the Income & Expenditure account and assets side of the balance sheet has been made which will not effect the total of debit and credit side of Income & Expenditure account and balance sheet (Nov. 1999)

**2.2 Interest of Rs. 20460 not accounted for in liabilities**

Interest of Rs. 20460; being received regularly from Reserve Bank of India on the investment of Rs. 170500 under the head 'Special Deposit Scheme' shown on the asset side of the GPF Balance Sheet for the year 1998-99, has not been accounted for resulting in short accountal of accrued interest of Rs. 20460 in the account.

The council stated that necessary adjustment of interest would be made in the account on receipt of the deposit amount along with the interest credited by the Reserve Bank of India (Nov. 1999).

**2.3 No depreciation on assets of Rs. 16.17 lakh**

Depreciation on Capital Assets is required to be deducted from the value of assets in non-revenue earning organisation. The assets accounts of the Council do not depict book value of acquisition including obsolescent unusable irreparable condemned asset and also do not take into account depreciation corresponding reduction of Capital account of Rs. 16.17 lakh during the year 1998-99. Therefore the capital and asset accounts are over stated accordingly thereby not giving the correct picture of the assets of the Council.

The council stated that depreciation would be worked out and shown in the account for the year 1999-2000 (Nov. 1999).

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT  
CENTRAL REVENUES  
NEW DELHI 110002

NO. AMG11/SAR/CCIM/99-2000/434

Dated : 8.3.2000

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate is forwarded to Shri PR Sharma, Secretary, Central Council of Indian Medicine, 61-65 Institutional Area, Janakpuri, New Delhi 110058 for necessary action with reference to their letter No. 10-13/99-Accts. Dated 11.11.99. The date on which the certified Annual Accounts are considered by the Governing Body may please be intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of Hindi version of the certified Annual Accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-

Dy. Director Audit  
(Inspection - II)

No. AMG11/SAR/CCIM/99-2000/434

Dated 8.3.2000

Copy together with a copy of the certified Annual Accounts, the Audit Report and the Audit Certificate forwarded to Shri Sunil Kumar Rai, Administrative Officer (Rep-AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 109-Report (Health Deptt.)/148-99 dated 29.2.2000.

A Statement incorporating replies to Headquarter's comments/observations is enclosed.

This is issued with the approval of DACR.

Sd/-

Dy. Director Audit  
(Inspection - II)

Encl. As above.

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE  
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI  
FOR THE YEAR 1998-99.

**1. Introduction**

The Central Council of Indian Medicine, New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the object of prescribing minimum standards of education for courses in Indian Systems maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

As required under Rule 86 of the Council's Regulation, 1977 made under Indian Medicine Central Council Act, 1970, the accounts of the Council are Audited under section 19(2) of the Comptroller and Auditor General's (Duties, Powers and Conditions of Service) Act, 1971.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grant of Rs. 50 lakh under Non-Plan and Rs. 45 lakh under Plan during 1998-99.

**2. Comments on account**

**2.1 Accrued interest of Rs. 15589 and Rs. 2709 not exhibited in account.**

(a) Accrued interest of Rs. 15589 and Rs. 2709 worked out on the investment of GPF subscription and pension fund respectively during the year 1998-99 was required to be exhibited in the Income and Expenditure account and balance Sheet. This has resulted in short accountal on interest in the Accounts of the Council.

The council stated that interest would be included in the accounts for the year 1999-2000 (Nov. 1999)

(b) Similarly accrued recognition fee which was worked out to Rs. 20.36 lakh had also not reflected distinctly in Income and Expenditure account and Balance Sheet (General Account). The Accounts therefore, do not depict true and fair view of financial position of the Council.

The council stated that accrued fee come to Rs. 14.30 lakh and necessary corrections in the Income & Expenditure account and assets side of the balance sheet has been made which will not effect the total of debit and credit side of Income & Expenditure account and balance sheet (Nov. 1999).

**2.2 Interest of Rs. 20460 not accounted for in liabilities**

Interest of Rs. 20460, being received regularly from Reserve Bank of India on the investment of Rs. 170500 under the head 'Special Deposit Scheme' shown on the asset side of the GPF Balance Sheet for the year 1998-99, has not been accounted for resulting in short accountal of accrued interest of Rs. 20460 in the account.

The council stated that necessary adjustment of interest would be made in the account on receipt of the deposit amount along with the interest credited by the Reserve Bank of India (Nov. 1999).

**2.3 No depreciation on assets of Rs. 16.17 lakh**

Depreciation on Capital Assets is required to be deducted from the value of assets in non-revenue earning organisation. The assets accounts of the Council depict book value of acquisition including obsolescent unusable irreparable and condemned asset and also do not take into account depreciation with corresponding reduction of Capital account of Rs. 16.17 lakh during the year 1998-99. Therefore the capital and asset accounts are over stated accordingly thereby not giving the correct picture of the assets of the Council.

The council stated that depreciation would be worked out and shown in the account for the year 1999-2000 (Nov. 1999).



**CENTRAL COUNCIL  
NEW  
DELHI  
RECEIPTS & PAYMENTS ACCOUNTS**

RECEIPTS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
<b>OPENING BALANCE AS ON 1-4-98</b>				
Cash in hand	63,644.00	--	--	--
Cash at Bank	10,85,372.48		5,42,301	
Stamps in hand	7,173.00	11,56,189.48	--	5,42,301
<b>GRANT - IN - AID</b>				
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 1998-99		50,00,000.00		45,00,000
<b>RECOVERY OF ADVANCES FROM EMPLOYEES</b>				
Festival Advance	26,430.00			
Scooter Advance	5,370.00			
Car Advance	--			
House Building Advance	22,900.00	54,700.00	--	--
<b>MISCELLANEOUS REMITTANCES</b>				
General Provident Fund	6,82,598.00			
Income Tax	1,42,131.00			
Postal Life Insurance	78,158.00	9,02,887.00	--	--
<b>RECEIPTS OTHER THAN GRANT-IN-AID</b>				
Application fee for the post of Registrar	523.00			
CGHS subscription from employees	8,080.00			
Interest received from employees	2,453.00			
Leave Salary contribution	3,394.00			
Pension Contribution	9,584.00			
Interest earned from saving Account (Fee)	24,640.89	48,674.89	--	--
Balance c/f		71,62,451.37		50,42,301.00

**OF INDIAN MEDICINE  
DELHI  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1999**

PAYMENTS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
<b>1. PAY &amp; ALLOWANCES</b>				
Pay of Secretary	1,18,199			
Pay of Establishment	17,29,249			
Non-Practising Allowance	44,566			
Post-Graduate Allowance	307			
Dearness Allowance	3,86,480			
House Rent Allowance	5,64,540			
City Compensatory Allow.	67,165			
Transport Allowance	65,377			
Conveyance Allowance	2,400			
Washing Allowance	1,620			
Bonus	68,337			
Tuition Reimbursement	6,100			
C.G.H.S. Contribution	34,515			
Medical Reimbursement	36,285			
Leave Travel Concession	40,121			
Overtime Allowance	18,014			
Honorarium	4,400			
Arrear of Pay Commission	6,38,983	38,26,658		
<b>2. CONTINGENCIES</b>				
<b>(a) Non-Recurring Nature</b>				
Furniture & Fixture	3,000		30,968	
Office Equipments	6,499		5,63,110	
Air Cooling Appliances	16,064	25,563	--	5,94,078
<b>(b) Recurring Nature</b>				
Stationary	1,33,891		24,937	
Telephone	96,389		--	
Postage & Telegramme	78,817		--	
Newspaper & Periodical				
Books	9,480		--	
Liveries Expenses	5,632		--	
Balance c/f	3,24,209	38,52,221	24,937	5,94,078



Balance b/f	99,78,039.37	50,42,301
<b>4. ADVANCES TO EMPLOYEES</b>		
Festival Advance	36,060.00	
Car Advance	1,47,000.00	
House Building Advance	96,000.00	2,79,060.00
<b>5. Recognition Fee Refunded to college</b>	10,000.00	
<b>6. Contribution Towards Pension Fund</b>	6,74,224.89	
<b>7. Interest to G.P. Fund</b>	35,365.18	
<b>8. MISCELLANEOUS REMITTANCES</b>		
General Provident Fund	6,82,598.00	
Income Tax	1,42,131.00	
Postal Life Insurance	78,158.00	9,02,887.00
<b>9. Uncash Cheque</b>	6,313.00	
<b>10. Closing Balance as on 31-3-99</b>		
Cash in hand	--	
Cash at Bank	3,40,538.10	
Stamps in hand	4,334.00	3,44,872.10
<b>Total</b>	<b>99,78,039.37</b>	<b>50,42,301</b>

Balance b/f	77,25,317.20	45,27,456
<b>4. ADVANCES TO EMPLOYEES</b>		
Festival Advance	36,060.00	
Car Advance	1,47,000.00	
House Building Advance	96,000.00	2,79,060.00
<b>5. Recognition Fee Refunded to college</b>	10,000.00	
<b>6. Contribution Towards Pension Fund</b>	6,74,224.89	
<b>7. Interest to G.P. Fund</b>	35,365.18	
<b>8. MISCELLANEOUS REMITTANCES</b>		
General Provident Fund	6,82,598.00	
Income Tax	1,42,131.00	
Postal Life Insurance	78,158.00	9,02,887.00
<b>9. Uncash Cheque</b>	6,313.00	
<b>10. Closing Balance as on 31-3-99</b>		
Cash in hand	--	
Cash at Bank	3,40,538.10	
Stamps in hand	4,334.00	3,44,872.10
<b>Total</b>	<b>99,78,039.37</b>	<b>50,42,301</b>

**CENTRAL COUNCIL  
NEW  
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT**

EXPENDITURE	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
<b>1. PAY &amp; ALLOWANCE</b>				
Pay of Secretary	1,18,199			
Pay of Establishment	17,29,249			
Non-Practising Allowance	44,566			
Post-Graduate Allowance	307			
Dearness Allowance	3,86,480			
House Rent Allowance	5,64,540			
City Compensatory Allow.	67,165			
Transport Allowance	65,377			
Conveyance Allowance	2,400			
Washing Allowance	1,620			
Bonus	68,337			
Tuition Reimbursement	6,100			
C.G.H.S. Contribution	34,515			
Medical Reimbursement	36,285			
Leave Travel Concession	40,121			
Overtime Allowance	18,014			
Honorarium	4,400			
Arrear of Pay Commission	6,38,983	38,26,658		
<b>2. CONTINGENCIES</b>				
Stationary	1,33,891		24,937	
Telephone	96,389		--	
Postage & Telegramme	78,817		--	
Newspaper & Periodical			--	
Books	9,480		--	
Liveries Expenses	5,632		--	
Audit Fee	1,07,700		--	
Printing Expenses	12,588.00		--	
Balance c/f	4,44,497.00	38,26,658.00	24,937.00	

**OF INDIAN MEDICINE  
DELHI  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1999**

INCOME	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
Grant-in-aid received from Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi during 98-99	50,00,000.00		45,00,000	
Less : Grant - Capitalised	25,563.00	49,74,437.00	5,94.078	39,05,922
<b>MISCELLANEOUS RECEIPTS</b>				
Application fee for the post of Registrar	523.00			
C.G.H.S. Subscription from Employees	8,080.00			
Interest received from employees	2,453.00			
Leave Salary Contribution	3,394.00			
Pension Contribution	9,584.00			
Interest received from B.B. A/c (Fee)	24,640.89			
Uncash cheques	6,588.00	55,262.89		
Recognition Fee recoverable for 1998-99		36,35,000.00		
Balance c/f		86,64,699.89		39,05,922

Balance b/f	4,44,497.00	38,26,658.00	24,937	--
Legal Expenses	48,226.00		--	
Advertisement	24,259.00		--	
Maintenance of equip.	23,368.00		--	
Publication	4,23,440.00		--	
Conveyance Expenses	12,487.00		--	
Miscellaneous Expenses	1,41,825.00	1,96,875		
Bank Charges	3,523.20	11,21,625.20	--	2,21,812

**3. TRAVEL EXPENSES**

President/V. President	1,03,120.00			
Secretary/Establishment	75,067.00			
Exe. Committee	2,10,659.00			
Edu. Committee (Ay.)	1,89,347.00			
Edu. Committee (Unani)	65,033.00			
Edu. Committee (Siddha)	30,856.00			
Regulation Committee	40,460.00			
Registration Committee	38,408.00			
Selection Committee	40,237.00			
Finance Committee	58,796.00			
Sub Committee	40,760.00			
Visiting Comm. (Ayur.)	10,71,043.00			
Visiting Comm. (Unani)	7,21,095.00			
Visiting Comm. (Siddha)	42,145.00			
Mem. of Central Council	16,463.00			
Cand. called for interview	7,982.00			
Workshop of Ayurved	--	10,89,475		
Workshop of Unani	--	10,81,668		
Workshop of Siddha	--	55,947		
Seminar	--	5,47,034		
Visitation of State Board	--	27,51,471.00	87,442	28,61,566

3. Recognition fee refunded to				
College		10,000.00		
4. Contribution toward Pension Fund	6,74,224.89			
5. Interest to G.P. Fund	35,365.18			
6. Uncash cheques	6,313.00			
7. Excess of Income over Expenditure		2,39,042.62	8,22,544	

Total 86,64,699.89 39,05,922

Balance b/f 86,64,699.89 39,05,922

LIABILITIES	TAMOUNT	AMOUNT	TAMOUNT
<b>(A) NON RECURRING NATURE</b>			
1) Furniture & Fixture	As per last Bal. Sheet 1,95,696.98	1,95,696.98	
Addition during the year	020/880 15	1,95,696.98	
2) Air Cooling Appliances	As per last Balance Sheet 22,340.73	22,340.73	
Addition during the year	00/460/81	22,340.73	
3) Books & Journals	As per last Balance Sheet 30,574.91	30,574.91	
Addition during the year	00/000/81	30,574.91	
4) Office Equipments	As per last Bal. Sheet 5,63,193.77	5,63,193.77	
Addition during the year	00/469/81	5,63,193.77	
<b>(B) RECURRING NATURE</b>			
1) Telephone	As per last Balance Sheet 00,222.9	00,222.9	
Addition during the year	00/060/81	00,222.9	
2) Telephone	As per last Bal. Sheet 37,48,330.10	37,48,330.10	
Addition during the year	00/060/81	37,48,330.10	
3) Telephone	As per last Bal. Sheet 1,87,000.00	1,87,000.00	
Addition during the year	00/060/81	1,87,000.00	
4) Telephone	As per last Balance Sheet 00,000.00	00,000.00	
Addition during the year	00/060/81	00,000.00	
5) Telephone	As per last Balance Sheet 00,000.00	00,000.00	
Addition during the year	00/060/81	00,000.00	

Total 86,64,699.89 39,05,922



**CENTRAL COUNCIL  
NEW  
BALANCE SHEET AS**

LIABILITIES	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
<b>GENERAL RESERVE</b>				
<b>Assets acquired the day of Estt.</b>				
As per last Balance sheet		20,080.15		--
<b>Assets acquired out of Grand-in-aid</b>				
As per last balance sheet	7,89,726.22		1,87,852	
Addition during the year	<u>25,563.00</u>	8,15,289.22	<u>5,94,078</u>	7,81,930
Sub Total		<u>8,35,369.37</u>		<u>7,81,930</u>
<b>Excesss of Income over Expenditure</b>				
As per last Bal. Sheet	35,09,287.48		5,62,261	
Addition during the year	<u>2,39,042.62</u>	37,48,330.10	<u>8,22,544</u>	13,84,805
<b>Recognition Fee</b>				
As per last Bal. Sheet	1,81,000.00			
Less : Adjus. in the year	<u>1,46,000.00</u>			
	35,000.00			
Addition during the year	<u>2,45,000.00</u>	2,80,000.00		
Balance c/f		<u>48,63,699.47</u>		<u>21,66,735</u>

**OF INDIAN MEDICINE  
DELHI  
ON 31ST MARCH, 1999**

ASSETS	NON PLAN		PLAN	
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
<b>(A) NON RECURRING NATURE</b>				
<b>1) Furniture &amp; Fixture</b>				
As per last Bal. Sheet	1,93,696.96		92,570	
Addition during the year	<u>3,000.00</u>	1,96,696.96	<u>30,968</u>	1,23,538
<b>2) Air Cooling Appliances</b>				
As per last Balance Sheet	22,340.73			
Addition during the year	<u>16,064.00</u>	38,404.73		
<b>3) Books for Library</b>				
As per last Balance Sheet		30,574.91		95,282
<b>4) Office Equipments</b>				
As per last Bal. Sheet	5,63,193.77		--	
Addition during the year	<u>6,499.00</u>	5,69,692.77	<u>5,63,110</u>	5,63,110
Sub Total		<u>8,35,369.37</u>		<u>7,81,930</u>
<b>(B) RECURRING NATURE</b>				
<b>1) Telephone</b>				
As per Balance Sheet	9,228.00	9,228.00	19,960	19,960
<b>2) Festival Advance</b>				
As per last Balance Sheet	13,620.00			
Addition during the year	<u>36,060.00</u>			
	49,680.00			
Recovery during the year	<u>26,430.00</u>	23,250.00		
<b>3) Scooter Advance</b>				
As per last Balance Sheet	10,050.00			
Recovery during the year	<u>5,370.00</u>	4,680.00		
Balance c/f		<u>8,72,527.37</u>		<u>8,01,890.00</u>

Balance b/f

48,63,699.47

21,66,735

LIABILITIES	AMOUNT	ASSETS	AMOUNT
<b>GENERAL RESERVE</b>		<b>(A) NON RECURRING NATURE</b>	
		(1) Furniture & Fixture	
		As per last Bal. Sheet	1,93,698.98
		Addition during the year	51,3,000.00
			<u>1,98,698.98</u>
		(2) Air Cooling Appliances	
		As per last Balance Sheet	22,340.73
		Addition during the year	18,084.00
			<u>40,424.73</u>
		(3) Books for Library	
		As per last Balance Sheet	30,574.91
			<u>30,574.91</u>
		(4) Office Equipments	
		As per last Bal. Sheet	5,63,193.77
		Addition during the year	6,499.00
			<u>5,69,692.77</u>
			<u>77,696,528.83</u>
<b>(B) RECURRING NATURE</b>			
(1) Telephone		As per Balance Sheet	9,228.00
Expenditure	19,080		<u>19,080</u>
(2) Festival Advances		As per last Balance Sheet	13,820.00
Recognition Fee		Addition during the year	38,000.00
			<u>51,820.00</u>
		Recovery during the year	26,430.00
		Less: Adjust	1,46,000.00
			<u>39,000.00</u>
		(3) Scooter Advance	
		As per last Balance Sheet	10,000.00
		Recovery during the year	5,700.00
			<u>4,300.00</u>
<b>Total</b>		<b>Total</b>	
	<u>48,63,699.47</u>		<u>21,66,735</u>

8,72,527.37

8,01,890.00

<b>4) Car Advance</b>			
As per last Balance Sheet	--		
Add. during the year	<u>1,47,000.00</u>	<u>1,47,000.00</u>	
<b>5) House Building Advance</b>			
As per las Bal. Sheet	2,38,200.00		
Addition during the year	<u>96,000.00</u>	<u>96,000.00</u>	
	3,34,200.00		
Recovery during the year	<u>22,900.00</u>	<u>22,900.00</u>	<u>3,11,300.00</u>
<b>6) Advance to DAVP</b>			
As per last Balance Sheet	--		
Addition during the year	--	<u>8,50,000</u>	<u>8,50,000</u>
<b>7) Recognition Fee</b>			
As per last Bal. Sheet	22,63,000.00		
Less :			
Recovery	5,05,000		
Adjusted	<u>1,46,000</u>	<u>6,51,000.00</u>	
		16,12,000.00	
Add. during the year	<u>15,76,000.00</u>	<u>31,88,000.00</u>	
<b>8) Closing Balance as on 31-3-99</b>			
Cash in Hand	--	--	
Cash at bank	3,40,538.10	5,14,845	
Postage Stamps	<u>4,334.00</u>	<u>3,44,872.10</u>	<u>5,14,845</u>
<b>Total</b>	<u>48,63,699.47</u>	<u>21,66,735</u>	

**CENTRAL COUNCIL  
NEW  
GENERAL  
RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT**

RECEIPTS	AMOUNT	AMOUNT
Opening Balance as on 1-4-98 in Saving Bank Account with State Bank of India		56,846.28
Subscription by Employees	4,76,210.00	
Recovery of Advance from Employees	<u>2,06,388.00</u>	6,82,598.00
Interest earned from bank	1,44,088.82	
Add : Transferred from Council's Account	<u>35,365.18</u>	1,79,454.00
Short Term Deposit matured		4,75,000.00
<b>Total</b>		<u><b>13,93,898.28</b></u>

**OF INDIAN MEDICINE  
DELHI  
PROVIDENT FUND  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1999**

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
(1) Withdrawal to Employees		
a) Refundable	97,000	
b) Non Refundable	<u>1,40,000</u>	2,37,000.00
(2) Investment		
Short Term Deposit in Bank		10,00,000.00
(3) Closing Balance as on 31-3-99 in Saving Bank Account with State Bank of India		<u>1,56,898.28</u>
<b>Total</b>		<u><b>13,93,898.28</b></u>



**CENTRAL COUNCIL  
NEW  
PENSION-CUM-  
RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT**

RECEIPTS	AMOUNT
Opening Balance as on 1-4-98 in Saving Bank Account with State Bank of India	5,42,277.10
Contribution during the year	6,74,224.89
Interest earned from Bank	1,47,587.39
Short term deposit matured	8,87,960.00
<b>Total</b>	<b>22,52,049.38</b>

**OF INDIAN MEDICINE  
DELHI  
GRATUITY FUND  
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1999**

PAYMENTS	AMOUNT
Monthly Pension to pensioners	1,74,213.00
Final payment to Veterinary Council of India	1,15,379.00
Payment of arrear of 5th pay commission to Pensioners	5,61,927.00
Investment in short term deposit	9,00,000.00
Closing Balance as on 31-3-1999 in Saving Bank Account with State Bank of India	5,00,530.38
<b>Total</b>	<b>22,52,049.38</b>

**CENTRAL COUNCIL  
NEW  
PENSION-CUM-  
BALANCE SHEET AS**

1997-98	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
6,12,655.70	As per last Balance Sheet	14,30,237.10	
8,80,750.00	Addition during the year	6,74,224.89	
1,48,124.40	Interest	1,47,587.39	
16,41,530.10		22,52,049.38	
2,11,293.00	Less : Redeemed	8,51,519.00	14,00,530.38
14,30,237.10			
<u>14,30,237.10</u>	Total		<u>14,00,530.38</u>

**OF INDIAN MEDICINE  
DELHI  
GRATUITY FUND  
'ON 31ST MARCH, 1999**

1997-98	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	Investment		
4,00,000.00	As per last Balance Sheet	8,87,960.00	
8,87,960.00	Addition during the year	9,00,000.00	
12,87,960.00		17,87,960.00	
4,00,000.00	Less : Redeemed	8,87,960.00	9,00,000.00
8,87,960.00			
	Closing Balance as on 31-3-99 in Saving Bank Account with State Bank of India		5,00,530.38
5,42,277.10			
<u>14,30,237.10</u>	Total		<u>14,00,530.38</u>

